ई पी आई EPI

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

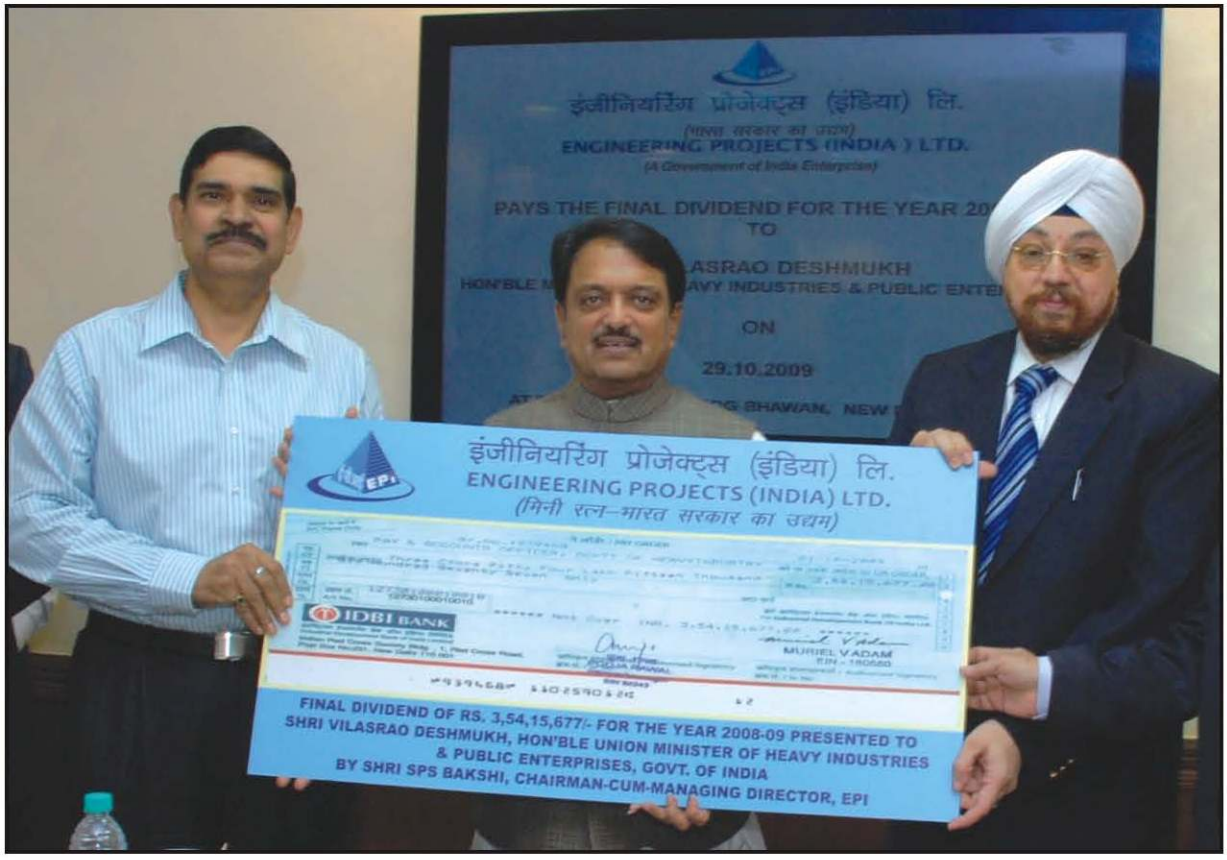

Shri Vilas Rao Deshmukh, Hon'ble Union Minister for Heavy Industries & Public Enterprises, receiving the cheque towards final dividend for the year 2008-09.

Shri Vilas Rao Deshmukh, Hon'ble Union Minister for Heavy Industries & Public Enterprises, releasing EPI's Environmental Manual

विषयसूची

निदेशक मंडल	02
संदर्भ सूचना	03
पांच वर्ा के कार्य-निपादन पर एक नजर	04
अध्यक्ष का वक्तव्य	05-06
वार्षिक आम बैठक की सूचना	07
निदेशकों की रिपोर्ट	08-17
निगमित सुशासन पर रिपोर्ट	18-26
प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेाण रिपोर्ट	27-31
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के उत्तर	32-33
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध	34-37
लेखा-विवरण	38-63
नकदी प्रवाह संबंधी विवरण	64-65
कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IV के अनुसार अतिरिक्त सूचना	66
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	67

निदेशक मंडल

श्री एस.पी.एस. बक्शी
अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक

श्री ए.के. रतवानी
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री जी.डी.मूरजानी
निदेशक (वित्त)

श्री राजीव बंसल,
संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग

श्री आर. असोकन
निदेशक,आईएफ विंग,
भारी उद्योग विभाग

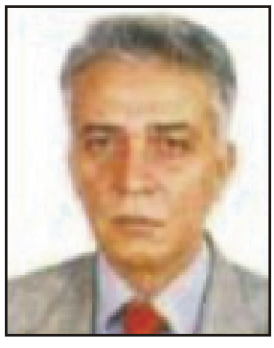

श्री अरुण दत्ता
स्वतंत्र गैर-सरकारी निदेशक

श्री अन्जन कुमार मित्रा
स्वतंत्र गैर-सरकारी निदेशक

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय

कोर 3, स्कोप कॉम्पलैक्स,
7 लोदी रोड
नई दिल्ली-110003
फोन सं.91-11-24361666
फैक्सः 91-11-24362436
ई-मेलः epico@epi.gov.in
वेबसाइटः www.epi.gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय-कोलकाता
50, चौरंगी रोड (8वीं एवं 9वीं मंजिल),
कोलकाता-700071
फोन नं- 91-33- 22824426-27-29
फैक्सः 91-33-22824428
ई-मेलः ero@epi.gov.in

पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय- मुम्बई
"बख्तावर", 6ए, 6वीं मंजिल,
नरीमन प्वाइंट मुम्बई- 400021
फोनः 91-22-22027585, 22026347
फैक्सः 91-22-22882177
ई-मेलः wromumbai@epi.gov.in

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय- दिल्ली
कोर-3, दूसरी मंजिल, स्कोप कॉम्पलैक्स
7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
फोनः 91-11-24361666
फैक्सः 91-11-24368293
ई-मेलः nro@epi.gov.in

दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय- चेन्नई,
3डी, ईस्ट कोस्ट चैम्बर्स
92, जी.एन.शेट्टी रोड
टी.नगर, चेन्नई-600017
फोनः 91-44-28156886, 28156421
फैक्सः 91-44-28156629
ई-मेलः sro@epi.gov.in

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय
वास्तव कॉम्पलेक्स (पहली मंजिल)
त्रिपुरा रोड, जया नगर
बेल्टोला गुवाहाटी-781028
फोनः 09863021819
ई-मेलः nero@epi.gov.in

बैंकर्स

इलाहाबाद बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
एचडीएफसी बैंक
कॉरपोरेशन बैंक
देना बैंक
आईडीबीआई बैंक
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
पंजाब नेशनल बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
स्टेट बैंक ऑफ सौराट्र
सिंडिकेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

लेखापरीक्षकः

मैसर्स वाकर चंदोक एण्ड कंपनी,
सनदी लेखाकार
एल-41, कनाट सर्कस,
नई दिल्ली-110001

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स जी.पी. अग्रवाल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
7-ए, किरन शंकर रे रोड,
कोलकाता-700001
पश्चिम बंगाल

मैसर्स सिंघवी ओतुरकर एण्ड केलकर,
फ्लैट नं.ए-202, दूसरी मंजिल,
ए विंग, गुलमोहर अपार्टमेंट,
निकट भण्डारी हाल,
पी एल काले गुरूजी मार्ग,
दादर (पश्चिम)
मुम्बई-400028
महाराट्र

मैसर्स सेकर एण्ड मोहन,
शॉप नं.10, पहली मंजिल,
18, नटेसन स्ट्रीट, टी. नगर,
चेन्नई-600017,
तमिलनाडु

ईपीआई के गत 5 वर्षों के कार्य-निष्पादन पर एक नजर

(रू.लाखों में)

विवरण/वर्ा	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
अ. परिचालन संबंधी आंकड़े					
कुल कारोबार	51203.87	63737.95	76360.86	85105.51	95870.53
अन्य आय	1728.94	1854.51	2065.55	2130.53	3079.91
कुल आय (क)	52932.81	65592.46	78426.41	87236.04	98950.44
कुल व्यय (ख)	51907.22	63917.23	76213.54	84866.95	96091.69
सकल मार्जिन (क-ख)	1025.59	1675.23	2212.87	2369.09	2858.75
ब्याज	156.01	203.26	363.99	263.90	214.70
मूल्यह्रास	94.07	140.74	93.79	91.57	78.16
कर-पूर्व लाभ (पीबीटी)	775.51	1331.23	1755.09	2013.62	2565.89
अनुंगीय लाभ कर सहित आयकर	56.17	92.08	225.42	260.43	322.34
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	719.34	1239.15	1529.67	1753.19	2243.55
लाभांश	531.34	708.45	708.45	708.45	708.45
लाभांश कर	72.83	99.36	99.36	136.18	120.40
धन कर	Nil	Nil	Nil	0.08	Nil
रोक कर रखा गया अधिशेा	115.17	431.34	721.86	908.48	1414.70
कर्मचारियों की संख्या	468	469	469	499	472
इक्विटी शेयरों की संख्या	9094400	9094400	9094400	9094400	9094400
ब.वित्तीय स्थिति					
शेयर पूंजी	3542.27	3542.27	3542.27	3542.27	3542.27
प्रारक्षित और अधिशेा	5703.47	6134.82	6856.68	7235.82	8650.52
बट्टे खाते में न डाले जाने वाली सीमा तक विविध व्यय	409.27	204.63	0.00	0.00	0.00
निवल परिसंपत्ति/शेयर धारकों की निधि	8836.47	9472.46	10398.95	10778.09	12192.79
स. वित्तीय अनुपात					
सकल मार्जिन/कुल कारोबार का %	2.00	2.63	2.90	2.78	2.98
कर से पहले लाभ/कुल कारोबार का %	1.51	2.09	2.30	2.37	2.68
कर से पहले लाभ/निवल मूल्य %	8.78	14.05	16.88	18.68	21.04
कर पश्चात लाभ/निवल मूल्य %	8.14	13.08	14.71	16.27	18.40
प्रति कर्मचारी कारोबार	109.41	135.90	162.82	170.55	203.12
भुगतान किया गया लाभांश/ कर पश्चात लाभ %	73.86	57.17	46.31	40.41	31.58
भुगतान किया गया लाभांश/ कर से पहले लाभ %	68.51	53.22	40.37	35.18	27.61
प्रति शेयर होने वाली आय (रू. में)	7.91	13.63	16.82	19.28	24.67
38.95 रू. के प्रत्येक शेयर का बही मूल्य (रू. में)	97.16	104.16	114.34	118.51	134.07

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारक

मैं आप सभी का आपकी कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक में स्वागत करता हूँ। वर्ा 2008-09 के दौरान विश्व ने सन् 1929 के बाद से अभी तक की सबसे बड़ी मंदी झेली है, यह मुद्रास्फीति को भगाने के लिए परिसंपत्ति बाजार के चर्मोत्कर्ा से वित्तीय बाजार के नट होने के पश्चात वित्तीय संस्थानों की विफलता का सबसे बड़ा दौर था। इसके दुप्रभाव से हमारी कंपनी भी अछूती नहीं रही। भारत सरकार द्वारा इस उद्योग को बहुत से उद्दीप्त पैकेज दिए जाने के बावजूद भी हमें अपनी वृद्धि दर का संशोधित अनुमान 9% से घटाकर 6.7% करना पड़ा था।

ऐसी पृठ भूमि के विरूद्ध मुझे खुशी है कि आपकी कंपनी ने अपनी गति बनाए रखी और 958.70 करोड़ रू. का कुल कारोबार हासिल किया (गत वर्ा 851.06 करोड़ रू.)। कर अदा करने से पहले कंपनी का निवल लाभ भी वर्ा 2007-08 में 20.14 करोड़ रू. से बढ़कर वर्ा 2008-09 में 25.66 करोड़ हो गया है।

वर्ा 2008-09 के दौरान आपकी कंपनी ने प्रदत्त शेयर पूंजी के 10% के बराबर की राशि का भुगतान अन्तरिम लाभांश के रूप में किया है और वर्ा 2008-09 के लिए ही प्रदत्त शेयर पूँजी की 10% राशि का भुगतान अंतिम लाभांश के रूप में करने की सिफारिश की है। इस प्रकार 35.42 करोड़ रू. की प्रदत्त शेयर पूँजी पर इस वर्ा के लिए कुल 20% लाभांश की घोाणा की गई है।

ऑर्डर बुकिंग के संदर्भ में आपकी कंपनी ने विशेा रूप से उत्कृ-ट निपादन किया है। आपकी कंपनी 1200 करोड़ रू. के समझौता ज्ञापन लक्ष्य के विरूद्ध 2430.51 करोड़ रू. मूल्य के आर्डर प्राप्त करने मे सफल रही है।

सतत् वृद्धि के परिणामस्वरूप आपके कंपनी के निपादन को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा पिछले तीन वर्ाों से लगातार "उत्कृट" कोटि प्रदान की जा रही है। वर्ा 2008-09 के लिए भी लेखा-परीक्षित आंकड़ों के आधार पर आपकी कंपनी "उत्कृट" कोटि की पात्र पायी गई है।

अवसंरचनात्मक विकास की एक ऐसे वाहन के रूप में पहचान की गई है जो भारत को इस मंदी के दौर से बाहर आने में सहायता करेगा। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आगामी 6 से 7 वर्ाों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए 17,50,000 करोड़ रू. से भी अधिक की राशि व्यय करने की परिकल्पना की है। इसमें से 70% से अधिक राशि इंजीनियरिंग और निर्माण संबंधी विशेाज्ञता के लिए व्यय की जाएगी और यही ऐसा क्षेत्र है जिसमें ईपीआई कार्य कर रही है।

इन व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपकी कंपनी की अवसंरचना ने आमूलचूल परिवर्तन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इसे विद्युत, राजमार्ग, विमानन और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाएं पूरी करने के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधा बनाया जा सके। निकट भविय में आपकी कंपनी के भावी परिचालन के लिए एक मैक्रो स्तर की निगमित योजना लागू की जाएगी जिसके अन्तर्गत संगठन में प्रत्येक स्तर पर ज्ञान का आदान-प्रदान करने और निकटतम सहक्रिया को प्रमुख घटक बनाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जिन क्षेत्रों जैसे परमाणु ऊर्जा, मास ट्रांजिट सिस्टम, मेगा पावर परियोजनाएं, आधुनिक टाउनशिप, बड़े हवाइ-अड्डे, बहु-लेन वाले राजमार्ग और मुक्त मार्ग, ट्रेड मुक्त जोन आदि में अभी तक प्रवेश नहीं किया है, में हम गुणवत्ता, लागत और स्थायी वातावरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रवेश करें।

अर्थपूर्ण कायाकल्प करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं। नए लोगो को अपनाते हुए आपकी कंपनी की पहचान को नया लुक देने के लिए एक प्रयास किया गया है। नया लोगो एक पिरामिड के रूप में है जिसके आधार में एक गोला और एक ओर ग्रिड लाइन बनाई गई है तथा दोनों ओर द्विभाकि रूप में ईपीआई लिखा गया है। यह लोगो स्थाई वृद्धि को प्रतिबिम्बित करता है। कार्य प्रक्रियाओं, पदोन्नति, भर्ती और स्थानान्तरण नीतियों का निर्धारण करते हुए एक कार्य मैनुअल का भी मसौदा तैयार किया गया है, जिसे आपकी कंपनी के निदेशकों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। एक पर्यावरण मैनुअल भी तैयार किया गया है जिसे जारी किया जा रहा है। शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित मैनुअल को भी संशोधित किया जा रहा है।

आपकी कंपनी अपने परिचालन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता को सर्वाधिक महत्व देती है। इसके सभी हितधारकों का महत्व बढ़ाने के उद्देश्य से इसके परिचालन के सभी क्षेत्रों में उच्चस्तरीय मानक हासिल करने के लिए आपकी कंपनी निरन्तर प्रयासरत है। अच्छे निगमित शासन के सिद्धांतों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी में अपनाई जा रही निगमित शासन प्रक्रियाओं पर एक अलग रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है।

हम, ईपीआई के सभी सदस्य विश्वास करते हैं कि आपकी कंपनी उस समाज के प्रति भी जिम्मेदार है जहां यह अपनी गतिविधियों को संचालित करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने सीआईडीसी के साथ मिलकर अगस्त 2009 में उत्तर-पूर्वी राज्यों के सरकारी विभागों के वरि-ठ स्तर के इंजीनियरों के लिए परियोजना और संविदा प्रबंधन पर नई दिल्ली में एक तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का प्रायोजन उत्तर-पूर्वी राज्य विकास मंत्रालय द्वारा किया गया और सभी ने इसकी भूरि-भूरि सराहना की।

उत्तर-पूर्वी राज्यों के वरिठ स्तर के इंजीनियरों के लिए कार्यशाला आयोजित करने के अलावा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास में और तेजी लाने के उद्देश्य से अभी हाल ही में गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। यह विपणन संबंधी प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगा और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के संबंध में इसके माध्यम से बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।

हम, जब सफलता और उत्साहित प्रगति की बात करते हैं तो हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सेवाओं की गुणवत्ता और मानव संसाधन प्रबंधन पर विशेा ध्यान देते हुए परिचालन के सभी क्षेत्रों में हमें अपेक्षाकृत अधिक कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किए गए निठापूर्ण प्रयासों की सराहना करना चाहूंगा और मैं यह आशा करता हूं कि वे कंपनी को नित नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आगे भी इसी तरह कठिन परिश्रम करते रहेंगे। मैं, कंपनी-बोर्ड के सभी सदस्यों, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ तथा उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अवसर पर अपने महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं, व्यापारिक सहयोगियों और बैंकों, जिन्होंने आपकी कंपनी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ तथा उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।

भविय में कंपनी की प्रगति के लिए मैं, आप सभी के निरन्तर सहयोग की कामना करता हूँ।

(एस.पी.एस. बक्शी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

सूचना

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड के सभी शेयर होल्डरों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार 29 सितंबर, 2009 को 3.00 बजे अपराह्न इसके पंजीकृत और निगमित कार्यालय, कोर 3, स्कोप कॉम्पलैक्स (चौथी मंजिल), 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में होने वाली है। इस बैठक में निम्नलिखित पर चर्चा की जाएगीः

1. कंपनी का 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्त र्वा के लिए लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त होने वाले वित्त र्वा के लिए लाभ और हानि लेखा के साथ-साथ निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
2. इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोाणा।
3. निदेशकों की औपचारिक नियुक्ति करना।

कुमुदनी शर्मा

(कुमुदनी शर्मा)
कंपनी सचिव

टिप्पणियां -

1. कंपनी का कोई भी सदस्य जो बैठक में उपस्थित होने और अपना मत देने का अधिकार रखता है, वह बैठक में उपस्थित होने तथा अपना मत व्यक्त करने के लिए अपने स्थान पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और प्रतिनिधि को इसके लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. कंपनी के सभी सदस्यों को एतद्द्वारा दो प्रतियों में नामांकन फार्म इस अनुरोध के साथ भेजा जाता है कि वे इसे पूरी तरह से भरकर वापस करेंगे।
3. श्री एस.पी.एस. बक्शी को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांकः 02.02.2009 के आदेश संख्या 16 (1) 2008-टीएसडब्ल्यू (अंक-।।) के तहत कंपनी का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यभार 05.02.2009 से ग्रहण किया।
4. डा. राम.एस. तरनेजा, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांक 17.02.2006 के आदेश संख्या 16 (13)/2001-टीएसडब्ल्यू (अंक-।।) के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल से उनका कार्यकाल पूर्ण होने के कारण, दिनांक 21.02.2009 से निदेशक पद पर नहीं हैं।
5. श्री सुरजीत मित्रा, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांक 24.08.2009 के आदेश संख्या 16(12)/2001-टीएसडब्ल्यू के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में नहीं हैं।
6. श्री राजीव बंसल, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांकः 24.08.09 के आदेश संख्या 16(12)2001-टीएसडब्ल्यू के तहत बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेवा में,

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड के सभी शेयरधारक

प्रतिलिपि :

1. ईपीआई के सभी निदेशक
2. सचिव, भारत सरकार,
   भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग),
   उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001
3. मैसर्स वाकर चंदोक एण्ड कंपनी,
   सनदी लेखाकार
   सांविधिक लेखापरीक्षक,
   एल-41, कनाट सर्कस,
   नई दिल्ली-110001

कुमुदनी शर्मा

(कुमुदनी शर्मा)
कंपनी सचिव

दिनांकः 28 अगस्त, 2009
स्थानः नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण

निदेशकों को कंपनी के 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वित्त वर्ा के लेखापरीक्षित लेखा विवरणों के साथ-साथ 39वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय विशेाताएं

वर्ा के दौरान कंपनी ने 28.59 करोड़ रूपए (गत वर्ा के 23.69 करोड़ रूपए) का सकल मार्जिन अर्जित किया है तथा 0.78 करोड़ रूपए मूल्यह्रास (गत वर्ा 0.92 करोड़ रूपए), 2.15 करोड़ रूपए ब्याज (गत वर्ा 2.64 करोड़ रूपए) प्रभारित करने के पश्चात कर अदा करने से पहले 25.66 करोड़ रूपए (गत व-र्ा के 20.14 करोड़ रूपए) का कर-पूर्व निवल लाभ अर्जित किया है। इस प्रकार आपकी कंपनी अपने समग्र कार्य-निपादन में निरंतर सुधार करने में समर्थ हुई है अर्थात कंपनी ने लगातार अच्छा कार्य-निपादन किया है।

कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया हैः

(रू. लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2007-08
1.	कुल कारोबार	95870.53	85105.51
2.	सकल मार्जिन	2858.75	2369.09
3.	ब्याज	214.70	263.90
4	मूल्यह्रास	78.16	91.57
5.	कर-पूर्व निवल लाभ	2565.89	2013.62
6.	कर (एफबीटी सहित)	322.34	260.43
7.	कर के पश्चात निवल लाभ	2243.55	1753.19
8.	निबल परिसंपत्ति	12192.79	10778.09

2. कार्य-निपादन

वर्ा 2008-09 के दौरान आपकी कंपनी ने गत वर्ा के 851.06 करोड़ रूपए के कुल कारोबार की तुलना में 958.70 करोड़ रूपए का कुल कारोबार हासिल किया है। इस प्रकार कंपनी ने गत वर्ा की तुलना में 12.65% की वृद्धि दर्ज की है।

कॉपोरेट कार्यालय भवन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, दिल्ली

3. पूंजीगत अवसंरचना (ढांचा)

कंपनी की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रूपए और 35.42 करोड़ रूपए रही है।

4. लाभांश और प्रारक्षित निधि (रिजर्व)

आपके निदेशकों ने दिसंबर, 2008 में घोाित की गई प्रदत्त पूंजी पर 10% (दस प्रतिशत) के अंतरिम लाभांश के अलावा 10% (दस प्रतिशत) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार वर्ा 2008-09 के लिए कंपनी की प्रदत्त पूंजी पर 20% (बीस प्रतिशत) का समेकित लाभांश घोाित किया गया है। अंतिम लाभांश का भुगतान कंपनी की वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात किया जाएगा। लाभांश कर पर होने वाला कुल व्यय क्रमशः 7.08 करोड़ रूपए और 1.20 करोड़ रूपए (गत वर्ा क्रमशः 7.08 करोड़ रूपए और 1.36 करोड़ रूपए) होगा।

आपके निदेशक 2.00 करोड़ रूपए (गत वर्ा 1.50 करोड़ रूपए) की राशि कंपनी की सामान्य प्रारक्षित निधि में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करते हैं तथा शेा लाभंश को आगे ले जाया जाएगा। तद्नुसार 31 मार्च, 2009 को कंपनी के "प्रारक्षित और अधिशेा" लेखे में 86.51 करोड़ रूपए (गत वर्ा 72.36 करोड़ रूपए) उपलब्ध होंगे।

5. आदेश पुस्तिका की स्थिति

वर्तमान वित्त वर्ा के दौरान आपकी कंपनी 4848.21 करोड़ रूपए मूल्य के 82 कार्यदेशों को क्रियान्वित कर रही है।

6. विपणन संबंधी उपलब्धियां

वित्त वर्ा 2008-09 के दौरान कंपनी ने 2430.51 करोड़ रूपए मूल्य की 33 परियोजनाएं प्राप्त की है। कुछ प्रधान परियोजनाओं के विवरण नीचे दिए गए हैं-

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	परियोजना	ग्राहक	मूल्य
1	आंध्रप्रदेश के करीम नगर जिले में राजीव स्वगृह योजना के अंतर्गत विविध प्रकार के आवासीय फ्लैटों (स्टिल्ट+ 9 तल वाले) का निर्माण कार्य (आठ पैकेज)	निदेशक तकनीकी, आंध्रप्रदेश राजीव स्वगृह निगम लिमिटेड, हैदराबाद	643.01
2	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विविध निर्माण कार्य (जमा आधार पर)	महानिदेशालय असम राइफल्स, महानिदेशक, असम राइफल्स, शिलांग	211.41
3	सिचाई और सीएडी के दुम्मूगुडेम परियोजना क्षेत्र (सर्किल) के लिए गोदावरी नदी से नागार्जुन सागर तक पानी लाने के लिए टेल पोंड लिंक कैनाल का निर्माण	सिचाई और सीएडी विभाग, आंध्रप्रदेश सरकार, टेकुलापल्ली, खम्माम, आंध्रप्रदेश	172.49
4	बारपेट, असम में फखरुद्दीन अली अहमद चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य	लोक निर्माण विभाग (बिल्डिंग), असम सरकार, गुवाहाटी	131.76
5	तेजपुर, असम में तेजपुर चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य	लोक निर्माण विभाग (बिल्डिंग), असम सरकार, गुवाहाटी	125.00
6	धनबाद, झारखण्ड में सीआईएमएफआर के नए कैंपस का निर्माण कार्य (जमा आधार पर)	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिद, इंजीनियरिंग सेवा प्रभाग, नई दिल्ली	125.00
7	यूआईडीएसएसएमटी (छोटे और मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना) के अंतर्गत कोलार सिटी, बंगारपेट और मलुर कस्बे के लिए जलापूर्ति योजना	कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति एवं जल निकासी मण्डल, बंगलूर	88.89
8	लेपेटकाटा, असम में ब्रह्मपुत्र पेट्रोकेमिकल्स की प्लांट-बिल्डिंग-1 के लिए सिविल, ढांचागत, वास्तुक और विद्युत संबंधी कार्य	ब्रह्मपुत्र क्रेकर एण्ड पोलीमर लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश	83.96

9	फेज-III रिफाइनरी परियोजना, मेंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मेंगलूर, कर्नाटक के लिए साइट ग्रेडिंग, सड़कों का निर्माण, स्टोर्म वाटर ड्रेनों और कंपाउण्ड वाल का निर्माण काय	मेंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मेंगलूर	80.13
10	विद्यासागर सेतु, पश्चिम बंगाल की हावड़ा साइड वाली भूमि में गारमेंट पार्क का निर्माण कार्य	हुगली नदी सेतु आयुक्त, कोलकाता	74.03
11	टर्नकी आधार पर साल्टलेक, कोलकाता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के भवन का निर्माण कार्य	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली	66.98
12	बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य	लोक निर्माण विभाग बिलासपुर, छत्तीसगढ़	60.41
13	सरदार बल्लब भाई नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नॉलॉजी, सूरत, गुजरात के लिए नए सिविल कार्यों का निर्माण कार्य (जमा आधार पर)	सरदार बल्लब भाई नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (एसवीएनआईटी), सूरत, गुजरात	60.00
14	जीजीएसआईपीयू, द्वारका, नई दिल्ली के पश्चिमी कैम्पस के फेज-I का निर्माण और विकास	विश्व विद्यालय निर्माण कार्य प्रभाग, गुरू गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीआईएसपीयू), नई दिल्ली	59.96
15	पुत्तूर जल आपूर्ति सुधार योजना, आंध्रप्रदेश	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं नगर निगम इंजीनियरिंग विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, नेल्लोर	53.65
16	सिचाई खण्ड (सर्किल), नेल्लोर, आंध्र प्रदेश के लिए पेन्नार, डेल्टा सिस्टम (पैकेज 40) का आधुनिकीकरण	सिचाई एवं सीएडी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, नेल्लोर	46.25
17	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड की विस्तार सह दिशा परिवर्तन परियोजना (ईडीपी) के लिए सिविल एवं ढांचागत निर्माण कार्य	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लि. कोट्टायम, केरल	45.74
18	कटक, उड़ीसा स्थित उड़ीसा उच्च न्यायालय भवन का विस्तार	उड़ीसा इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आईडीसीओ), भुवनेश्वर	42.69

7. समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत कार्य-निपादन (मूल्यांकन)

आपकी कंपनी के कार्य-निपादन को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा वर्ा 2007-08 के लिए"उत्कृट" रेटिंग प्रदान की गई है। यह लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है जब लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनी के कार्य-निपादन को"उत्कृट" रेटिंग प्रदान की गई है। कंपनी के लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर वर्ा 2008-09 के लिए भी कंपनी अपने कार्य-निपादन के लिए "उत्कृट" रेटिंग प्राप्त करने में सक्षम हुई है।

8. निगमित सुशासन

कंपनी इस सिद्धान्त पर विश्वास करती है कि दीर्घावधि में

अच्छी निगमित सुशासन प्रक्रियाएं अपने सभी शेयरधारकों के लिए धनार्जन सहायक होती हैं। निगमित सुशासन प्रक्रियाओं पर एक रिपोर्ट और प्रबंधन के साथ की गई चर्चा पर आधारित एक विश्लेाण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई हैं।

9. गुणवत्ता एवं पर्यावरणीय प्रबंधन

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड भारत की कतिपय ठेकादारी कंपनियों में से ऐसी एक कंपनी है, जिसे आईएसओ 9001: 2000 और आईएसओ 14001 : 2004 प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं; तथा जिसमें गुणवत्ता एवं पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (क्यूईएमएस) को शामिल किया गया है। प्रमाणीकरण के क्षेत्र में डिजाइन, खरीदारी तथा संकल्पना से स्थापना तक बहुआयामी औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अनुमति सम्मिलित है। कंपनी को आईएसओ 14001: 2004 के लिए पुनः प्रमाणीकृत किया गया है अर्थात 03.10.2008 से आगामी 3 वर्ा की अवधि के लिए ईएमएस से प्रमाणित किया गया है। कंपनी को पेशागत स्वास्थ्य और संरक्षा मूल्यांकन सीरीज (ओएचएसएएस) 18001: 2007 अर्थात निगमित कार्यालय के संबंध में पेशागत स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) के लिए भी प्रमाणित किया गया है।

10. सर्तकता संबंधी कार्यकलाप

वर्ा 2008-09 के दौरान कंपनी के सतर्कता प्रभाग ने कंपनी के परिचालन को अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बहुत से नए प्रयास किए हैं। सभी प्रकार के निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) को कंपनी की वेबसाइट में अपलोड किया जा रहा है और उच्च मूल्य वाली निविदाओं के निविदा आमंत्रण नोटिसों को व्यापक प्रचार-प्रसार की दृटि से समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जा रहा है।

कंपनी ने आगामी कार्य योजना के एक भाग के रूप में प्रणाली को मुख्य धारा में लाने और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता के लिए एक "कार्य मेनुअल" तैयार किया है, जिसका विमोचन भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के माननीय सचिव, श्री एस.एन. दाश द्वारा 28 जुलाई, 2009 को किया गया। इसके अलावा कंपनी अपने विभिन्न वेंडरों, आपूर्तिकर्ताओं, उप ठेकेदारों और कर्मचारियों को सभी भुगतान ई-भुगतान प्रणाली के माध्यम से करती है।

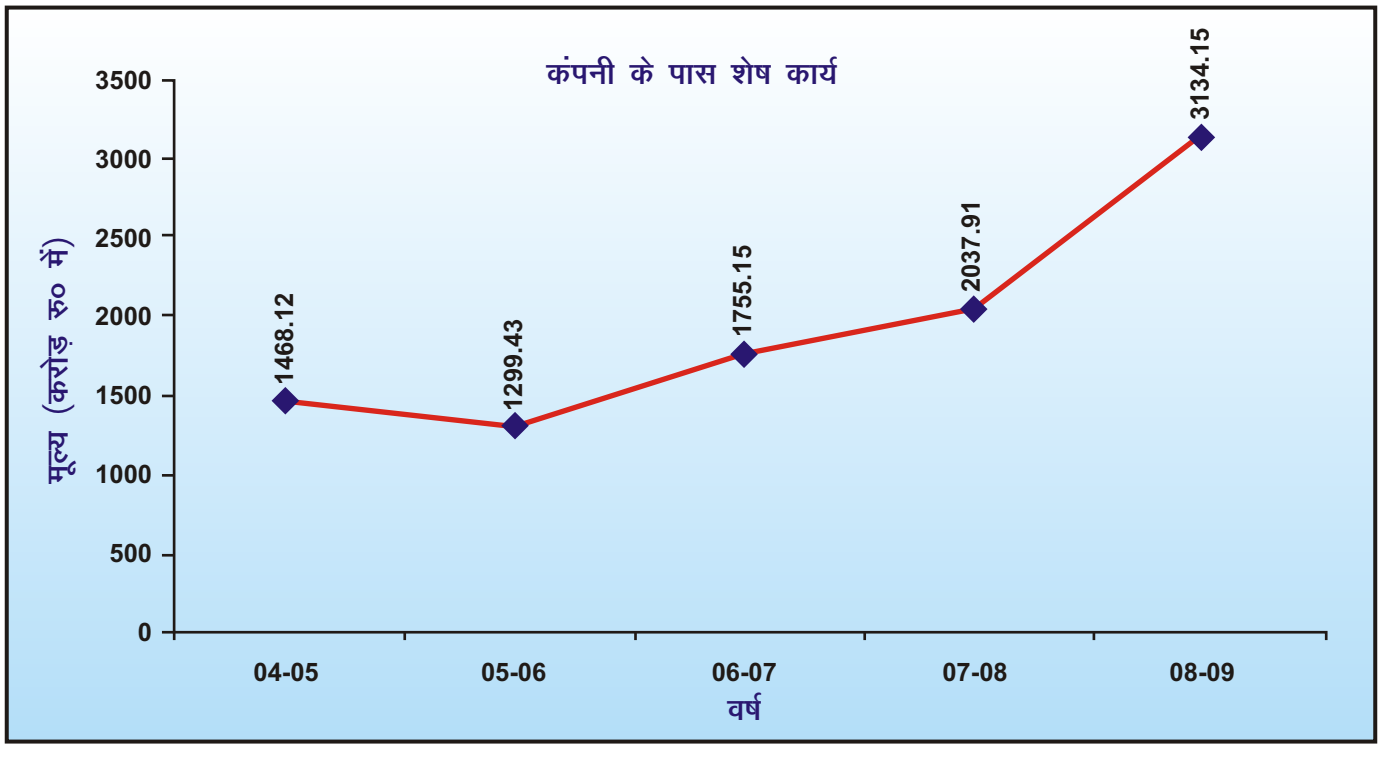

11. मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी को अपने मानव संसाधन उपयोग पर गर्व है, उनके योगदान से कंपनी ने काफी लंबी यात्रा पूरी की है और भविय में कंपनी काफी तेजी से प्रगति करेगी। कंपनी का मानना है कि इसकी व्यावसायिक योजना को पूरा करने में कंपनी के कर्मचारियों को उपयुक्त ढंग से परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहिए। 31 मार्च, 2009 को कंपनी के पास 473 कर्मचारियों का सशक्त कार्यबल मौजूद था।

12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्मिक

31 मार्च, 2009 को कंपनी की नामावली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या 107 थी, जो कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या के 22.62% के बराबर है।

13. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (अधिकारी/कर्मचारी)

सामाजिक तौर पर जागरूक संगठन के रूप में अपनी भूमिका पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से कंपनी अपने कार्यबल में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियमानुसार एवं नीतिगत ढंग से आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

14. राजभाषा प्रचार-प्रसार

आपकी कंपनी ने राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई तथा समिति के निर्णयों को कार्यान्वित किया गया। बहुत सी प्रतियोगिताएं जैसे डिक्टेशन, नोटिंग-ड्राफ्टिंग, निबंध लेखन, हस्ताक्षर, वाद-विवाद, चित्र अभिव्यक्ति, क्विज, कविता पाठ आदि हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, पुरस्कारों और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया। कर्मचारियों के बच्चों को हिन्दी विाय में उत्तम परिणाम के लिए हमारी प्रतिभा पुरस्कार योजना के माध्यम से पुरस्कृत किया गया।

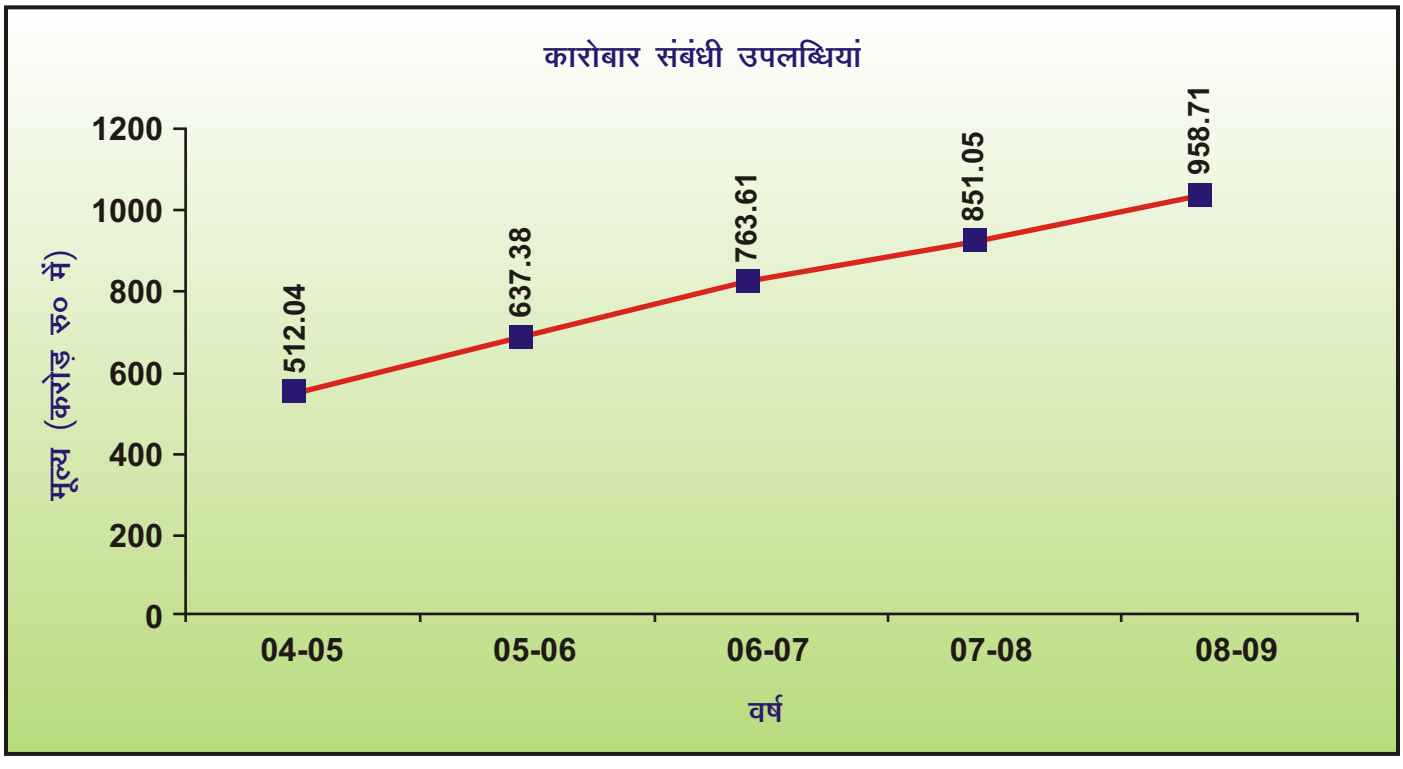

15. विदेशी यात्रा, ब्राण्ड संवर्धन और विज्ञापन/प्रचार-प्रसार पर व्यय

समीक्षाधीन वर्ा के दौरान विदेश दौरों पर कुल 4.32 लाख रूपए (गत वर्ा 11.89 लाख रूपए), ब्राण्ड संवर्धन पर 17.25 लाख रूपए (गत वर्ा 24.23 लाख रूपए) और विज्ञापन/प्रचार प्रसार पर 48.44 लाख रूपए (गत वर्ा 25.61 लाख रूपए) व्यय हुए।

16. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता

सरकारी निदेशों को ध्यान में रखते हुए वर्ा 2008-09 के दौरान इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड में प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेा प्रयास किए गए।

17. निदेशक मण्डल

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मण्डल में सात सदस्य जिनमें अध्ययक्ष-सह प्रबंध निदेशक सहित शामिल हैं, तीन निदेशक प्रकार्यात्मक (फंक्शनल) निदेशक, दो निदेशक प्रशासनिक मंत्रालय से अंशकालिक सरकारी निदेशक, और दो निदेशक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक हैं। अंतिम वार्षिक आम बैठक की तारीख से कंपनी के निदेशक मण्डल में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं -

श्री एस.पी.एस बक्शी को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांक 02.02.09 के आदेश संख्या 16 (1) 2008-टीएसडब्ल्यू (अंक-।।) के अंतर्गत कंपनी का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

डा. राम एस. तरनेजा, उनकी कार्य-अवधि पूरी होने पर भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांकः 17.02.06 के आदेश संख्या 16(13) 2001-टीएसडब्ल्यू (अंक-।।) के अनुसार दिनांक 21.02.09 से कंपनी के निदेशक मण्डल में निदेशक नहीं हैं।

डा. सुरजीत मित्रा, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांकः 24.08.09 के आदेश संख्या 16(12) 2001-टीएसडब्ल्यू के अनुसार कंपनी के निदेशक मण्डल में निदेशक नहीं हैं।

श्री राजीव बंसल, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांक 24.08.2009 के पत्र संख्या

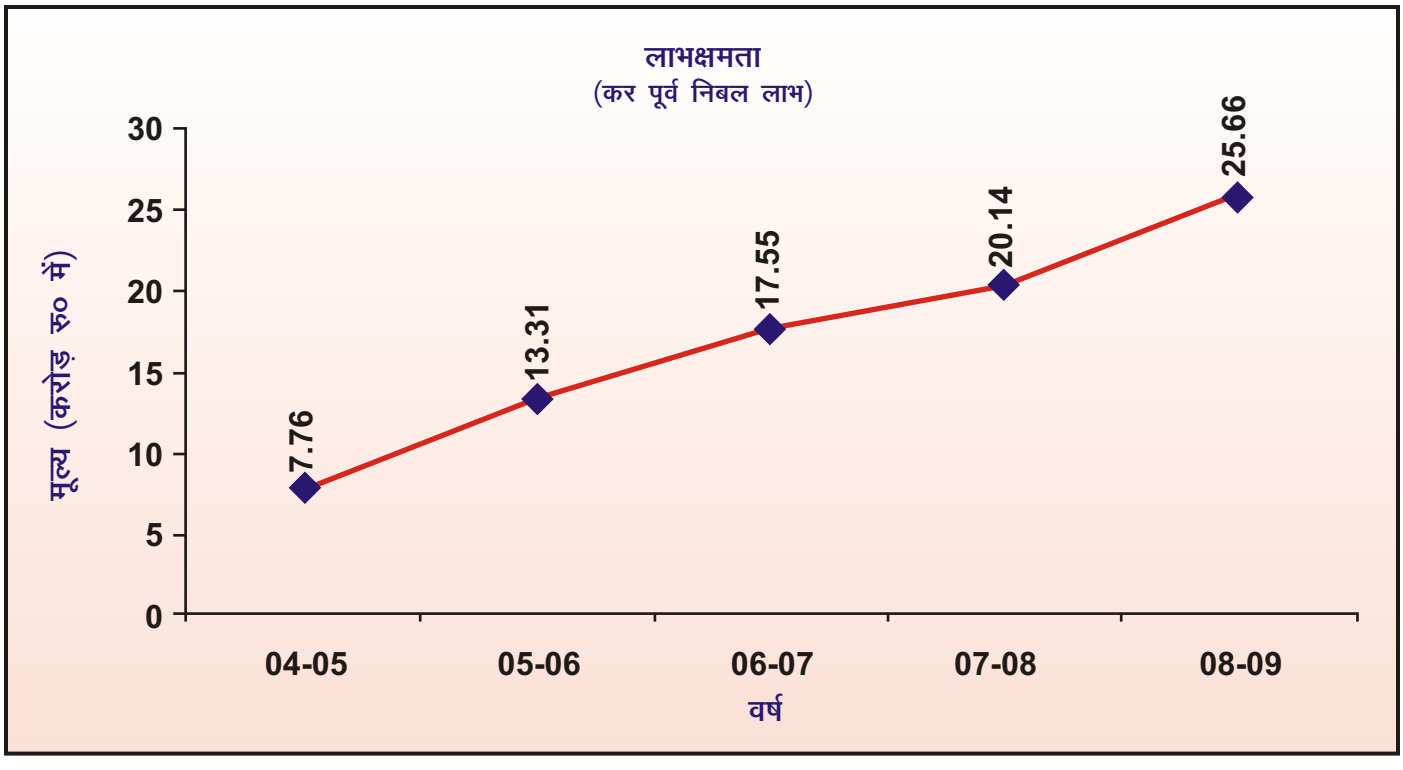

16 (12) 2001-टीएसडब्ल्यू के तहत दिनांक 24.08.2009 से कंपनी के निदेशक मण्डल में अंशकालीन सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

18. निदेशक-उत्तरदायित्व विवरण :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2अअ) के अंतर्गत यथा आवश्यक आपके निदेशकगण एतद् द्वारा सुनिश्चित करते हैं :

(i) यह कि वार्षिक खातों को तैयार करने में सामग्री के प्रेाण से संबंधित उचित स्पटीकरण के साथ सभी लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है;

(ii) यह कि निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया और ऐसे निर्णय तथा आकलन किए हैं जो औचित्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण हैं जिसमें 31 मार्च, 2009 को कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उस तारीख को कंपनी के लाभ की सही और स्पट तस्वीर सामने आए।

(iii) यह कि कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में लेखाकरण रिकार्ड सुरक्षित रखने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है; और

(iv) यह कि वार्षिक लेखे कार्यरत संस्थान के आधार पर तैयार किए गए हैं।

19. लेखा परीक्षक

वित्त वर्ा, 2008-09 के लिए मैसर्स वाकर चंदोक एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक तथा उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय के लिए शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। मैसर्स जी.पी. अग्रवाल एण्ड कंपनी, मैसर्स सिंगवी ओतूरकर एण्ड केलकर तथा मैसर्स सेकर एण्ड मोहन को क्रमशः पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए

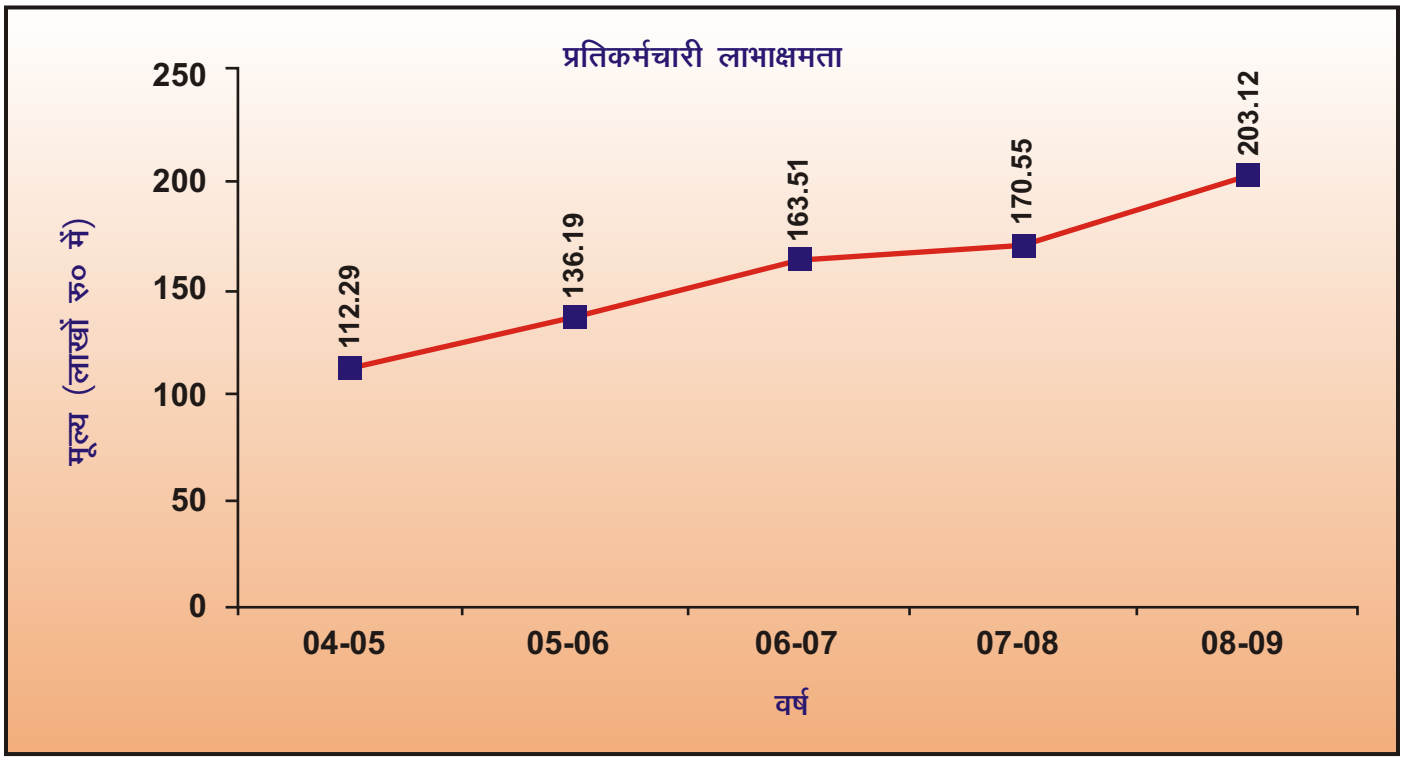

शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ा के लिए कंपनी के लेखे पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी द्वारा किए गए उनके उत्तर रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। 31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्त वर्ा के लिए कंपनी के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के परिशिट में दी गई हैं।

20. विवरणों का प्रकटन

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (ड़) के प्रावधानों जिन्हें कंपनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में विवरणों का दर्शाया जाना) नियमावली, 1988 के साथ पढ़ा गया है, के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाली आय और बहिर्गमन से संबंधित सूचना एवं विवरण नीचे दिए गए हैं

20.01 ऊर्जा संरक्षण

निर्माण कार्य से संबंधित संविदाओं में ऊर्जा की बचत के लिए उपलब्ध संभावनाओं के तहत ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रत्येक संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी के कार्यकलापों में विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है, परन्तु ऊर्जा खपत के स्तरों को कम करने के महत्व और प्रतिप्राप्ति तथा पुनः उत्पादन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पुनः उपयोग को ऐसे प्लांट उपस्कर और प्रक्रियाओं के डिजाइनरों द्वारा लगातार ध्यान में रखा जाता है जिनमें ऊमा और अन्य रूपों में ऊर्जा का सदुपयोग शामिल होता है। इसमें ऐसी परियोजनाएं भी शामिल होती हैं; जिनमें ऊमा विनिमय प्रक्रियाओं, हीटिंग, चिलिंग, केल्सीनेशन आदि के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। ऊर्जा संरक्षण के लक्ष्य को ऊर्जा की दृटि से उत्तम उपस्कर, गैर उपयोगी ऊमा के रिकूपरेटरों, डिजिटल सेंसिंग, नियंत्रण और सिग्नल देने वाली प्रौद्योगिकियों के आधार पर आधुनिक प्रक्रिया नियंत्रण प्रणालियों में निहित उन्नत इंसूलेटिंग विशेाताओं वाले आधुनिक निर्माण उपस्करों के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

पंजाब नेशनल बैंक, लुधियाना (पंजाब) में आंचलिक (जोनल) कार्यालय भवन

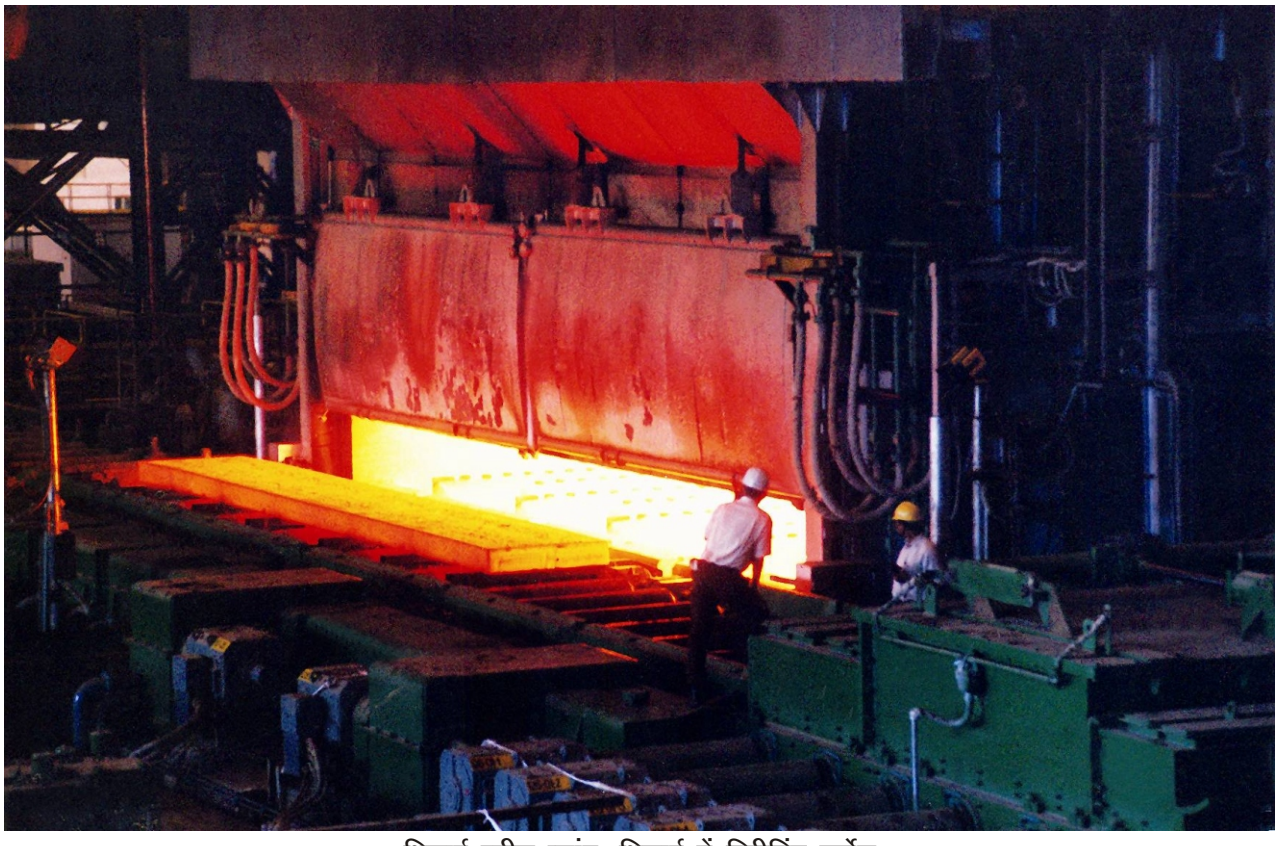

भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई में रिहीटिंग फर्नेस

20.02 प्रौद्योगिकी आमेलन

कंपनी अपने प्रचालनों में ऐसे नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास और नवीन प्रक्रियाओं को लागू और समावेशित करने के लिए निरंतर प्रयास करती है जो इसके व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त अग्रणी कंपनियों से प्राप्त होने वाली नवीनतम प्रौद्योगिकियों की रेंज जो औद्योगिक परियोजनाओं में सदुपयोग के लिए संगठन में उपलब्ध है, में अम्ल सांद्रण संयंत्र, रासायनिक प्रक्रिया संयंत्र, असाधरण मिट्टी आदि के निर्काण के लिए विशेाज्ञता प्राप्त अयस्क उपचयन सुविधाएं शामिल हैं। कंपनी के विशेाज्ञों को तकनीकी जानकारी के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों और गोठियों में तथा प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाता है।

20.03 विदेशी विनिमय से होने वाली आय तथा बहिर्गमन

वर्ा 2008-09 के दौरान डिजाइन और परामर्श, उपस्करों और कलपुर्जों के आयात तथा विदेश यात्रा के मद में विदेशी मुद्रा बहिर्गमन 4.32 लाख रूपए तक रहा (गत वर्ा 470.87 लाख रूपए) तथा आपकी कंपनी ने 94.18 लाख रूपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की (गत वर्ा 53.78 लाख रूपए)।

21. धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथा अपेक्षित कर्मचारियों के संबंधित सांविधिक सूचना

31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्त वर्ा के दौरान कंपनी के किसी भी कर्मचारी को 2,00,000/- प्रतिमाह अथवा 24,00,000/- प्रतिवर्ा से अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

22. आभार-प्रदर्शन

आपके निदेशकगण, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों व सगठनों से प्राप्त होने वाले सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार मानते हैं। आपके निदेशकगण कंपनी की परियोजनाओं से जुड़े उप-संविदाकारों, वेण्डरों और परामर्शदाताओं के सतत् योगदान तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होने वाले सहयोग के लिए उनकी

प्रशंसा करते हैं। आपके निदेशकगण कंपनी के सभी कर्मचारियों से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए उनकी हृदय से प्रशंसा करते हैं तथा सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकों को पूरा विश्वास है कि आने वाले व-र्षों में सभी स्तरों के कर्मचारी कंपनी के कार्य-निपादन में और अधिक सुधार लाने के लिए अपने-अपने स्तर पर कठोर परिश्रम करना जारी रखेंगे। आपके निदेशकगण सरकारी लेखा परीक्षकों तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दिए गए सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उसकी ओर से

(एस.पी.एस. बक्शी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02548430

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 24.08.2005

खानापाड़ा, गुवाहाटी में असम रायफल परियोजना

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

1 निगमित सुशासन पर कंपनी की विचारधारा

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड (ईपीआई) पारदर्शिता, सत्यनिठा, जवाबदेही, व्यवसायवाद और अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्यों की स्थाई अभिवृद्धि के लिए संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए सम्मृद्ध निगमित सुशासन के मानदण्डों एवं सिद्धांतों को बढ़ावा देने तथा उन्हें मजबूत बनाने के प्रति अपने आपको आनन्दपूर्वक प्रतिबद्ध करता है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड ने निगमित सुशासन की संहिता पर आधारित दर्शन को अपनाया है, जो निम्नानुसार हैः

"कंपनी के सभी हितधारकों के लिए मूल्य स्थापित करने हेतु व्यावसायिकता का प्रयोग करना और उसे प्रभावी, उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाना।"

2 निदेशक मण्डल

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड के निदेशक मण्डल की संरचना बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से की गई है। इसमें आठ सदस्य हैं, जिसमें से तीन प्रकार्यात्मक निदेशक (अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित), दो भारत सरकार द्वारा नामित और तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। इन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सामान्यतः प्रबंधन, इंजीनियरिंग और अर्थव्यवस्था तथा लेखा विभाग आदि क्षेत्रों से की जाती है। मण्डल में निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 68 की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा की जाती है।

31 मार्च 2009 को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड में तीन प्रकार्यात्मक निदेशक, दो सरकार के नामिती और दो स्वतंत्र निदेशक हैं। स्वतंत्र निदेशक का एक पद खाली है। वर्ा के दौरान डा. राम एस. तरनेजा, अपना कार्यकाल पूर्ण करने पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर नहीं रहे हैं। भारत सरकार, कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 68 की शर्तों के अनुसार इस रिक्त पद को भरने के लिए कार्रवाई कर रही है।

निदेशक मण्डल का स्वरूप, उनकी अवधि, निदेशकों के वर्ग, वर्ा 2008-09 के दौरान हुई मण्डल की बैठकों और आम सभाओं में उनकी उपस्थिति, अन्य कंपनियों के निदेशक के पदों पर कार्य करने आदि से संबंधित विवरण नीचे दिए गए हैं-

नाम	बैठकों में उपस्थिति	वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों के निदेशक के तौर पर कार्य करना	अवधि
(क) प्रकार्यात्मक निदेशक				
श्री एस.पी.एस. बक्शी अध्यक्ष, सह-प्रबंध निदेशक डीआई एन : 02548430	1/1	लागू नहीं	शून्य	05.02.09 - 04.02.14
श्री ए.के. रतवानी निदेशक (परियोजनाएं) डीआईएन : 00730349	4/4	हाँ	शून्य	01.09.06 - 31.08.11
श्री जी.डी. मूरजानी निदेशक (वित्त) डीआई एन : 01454008	4/4	हाँ	शून्य	11.04.07 - 31.08.10

नाम	बैठकों में उपस्थिति	वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों के निदेशक के तौर पर कार्य करना	अवधि
(ख) सरकारी नामिता				
डा. सुरजीत मित्रा अपर सचिव, भारी उद्योग और लोक उद्यम, मंत्रालय डीआईएनः 00122304	4/4	नहीं	6	26.04.07- अगले आदेश तक
श्री आर. असोकन निदेशक, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, डीआईएन :01079166	4/4	हाँ	4	01.02.08 - अगले आदेश तक
(ग) स्वतंत्र निदेशक				
श्री अरुण दत्ता डीआईएन : 00180069	4/4	हाँ	5	14.09.05- 13.09.11
डा. राम एस.तरनेजा डीआईएन : 00009395	4/4	हाँ	17	21.02.06 - 20.02.09
श्री अंजन कुमार मित्रा डीआईएन : 00888372	4/4	हाँ	1	11.05.07 - 10.05.10

कंपनी के निदेशक मण्डल की वर्ा के दौरान चार बार (28.04.08, 06. 08.08, 12.12.08 और 11.02.09) बैठकें आयोजित की गई और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक सभी सूचना मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई।

कंपनी-मण्डल के निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

(i) श्री एस.पी.एस बक्शी (50 वर्ा) श्री एस.पी.एस बक्शी ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यभार फरवरी, 2009 में ग्रहण किया। श्री बक्शी ने राजमार्ग एवं परिवहन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर और मानव संसाधन विकास में एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। वे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के फैलो सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स, यूएसए के सदस्य हैं। श्री बक्शी के पास टर्नकी आधार पर बड़ी बिल्डिंगों और हवाई अड्डों तथा राजमार्ग परियोजनाओं के विशेा संदर्भ में परियोजना की आयोजना तैयार करने और उसके प्रबंधन का 30 वर्ा का सम्मृद्ध और व्यापक अनुभव है। श्री बक्शी ने इन विशाल परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि एवं लागत में पूरा किया। उन्होंने सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी आधार पर भी परियोजनाओं पर काम किया है। श्री एस.पी.एस. बक्शी ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड में सेवाएं शुरू करने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इण्डिया और भारतीय राट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उच्च पदों पर कार्य किया है। उन्होंने एयरपोर्ट और राजमार्ग से जुड़ी राट्रीय महत्व की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर भी काम किया है।

(ii) श्री ए.के. रतवानी (52 वर्ा) श्री ए.के. रतवानी ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड में निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में सितंबर, 2006 में कार्य ग्रहण किया। श्री रतवानी एक सिविल इंजीनियर हैं तथा

उन्होंने मार्केटिंग में एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। श्री रतवानी को विपणन, परियोजना प्रबंधन, परियोजना-क्रियान्वयन और रियल इस्टेट से जुड़ी परियोजनाओं का 30 वर्ा से अधिक अवधि का सम्मृद्ध और व्यापक अनुभव है। श्री रतवानी ने भारत व विदेशों में बहुआयामी परियोजनाओं पर काम किया है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड में कार्य ग्रहण से पहले श्री रतवानी ने 28 वर्ा से अधिक अवधि तक निर्माण कार्य से जुड़े संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य किया है। परियोजना प्रबंधन और क्रियान्वयन में सघन अनुभव के साथ श्री रतवानी ने संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए कंपनी के प्रचालन को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, इसके परिणास्वरूप ईपीआई के परिचालनों में कुशलता आई है और लाभ में सुधार हुआ है। उनकी विपणन कुशाग्रता से ईपीआई की वर्तमान आदेश पुस्तिका स्थिति में पिछले वर्ा की तुलना में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है।

(iii) श्री जी.डी. मूरजानी (59 वर्ा) श्री जी.डी. मूरजानी, निदेशक (वित्त) ने ईपीआई में निदेशक (वित्त) के रूप में अपनी सेवा की शुरूआत अप्रैल, 2007 में की थी। उन्हें निगमित वित्त एवं प्रबंधन का 30 वर्ा से भी अधिक का सम्मृद्ध अनुभव है। ईपीआई में निदेशक (वित्त) का पदभार संभालने से पहले श्री मूरजानी कंपनी के कार्यकारी निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत थे। वह कंपनी के संपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में दिशानिर्देश देते हैं, इसमें वार्षिक वित्तीय योजना, बजटीय नियंत्रण, नकदी प्रबंधन एवं अन्य विाय भी शामिल होते हैं। वह कंपनी की निगमित सुशासन रूपरेखा के संदर्भ में भी दिशानिर्देश देते हैं। वह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सैक्रेटरीज ऑफ इण्डिया के फैलो सदस्य हैं।

(iv) डा. सुरजीत मित्रा (57 वर्ा) डा. सुरजीत मित्रा, अपर सचिव ने भारत सरकार के नामिती के रूप में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड के मण्डल में 26 अप्रैल, 2007 से अपनी सेवाएं प्रारंभ की। भारी उद्योग विभाग में अपर सचिव के रूप में अपनी कार्य-अवधि से पूर्व डा. मित्रा बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रह चुके हैं, जिसमें संयुक्त सचिव (भारी उद्योग विभाग), वाणिज्य मंत्रालय में ईएससीएपी हेतु संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय में एएसईएएन, पैट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार और प्रधान/मुख्य सचिव (आयोजना एवं विकास), असम सरकार प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। डा. मित्रा को मंत्रालय और विभाग यथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यटन, संचार, रक्षा, गृह, वाणिज्य, पेट्रोलियम, उत्तर-पूर्वी विकास का अच्छा अनुभव है, इसके अलावा श्री मित्रा को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी महत्वपूर्ण कार्य समय-समय पर सौंपे जाते रहे हैं। डा. मित्रा ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (यू.के.) से अर्थशास्त्र में डॉक्ट्रेड की है। डा. मित्रा को प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कार तथा मान्यता में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (अंतर्राट्रीय व्यापार) का क्वीन एलिजाबेथ फैलो और सेंटर फार पॉलिसी रिसर्च (दक्षिण-दक्षिण सहयोग) में मानद प्राध्यापक होना भी शामिल हैं। डा. मित्रा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एचएमटी इण्टरनेशनल लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के बोर्डों में भी निदेशक के रूप में रहे हैं।

(v) श्री आर.असोकन (53 वर्ा) श्री आर. असोकन, भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार के एकीकृत वित्त स्कंध में निदेशक के पद पर तैनात हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड के मण्डल में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं 01.02.08 से प्रारंभ की। श्री असोकन कॉस्ट एण्ड वर्क्स, अकाउण्टेंट हैं और उन्होंने वाणिज्य विाय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। भारी उद्योग विभाग में अपनी सेवा अवधि से पूर्व श्री असोकन ने आर्थिक कार्य विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (बीआईसीपी, टैरिफ आयोग), व्यय विभाग, कंपनी कार्य विभाग और उर्वरक विभागों में कार्य किया है। सन् 1989 में भारतीय लागत लेखा विभाग में कार्य ग्रहण से पूर्व श्री असोकन ने 9 वर्ा तक नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड में कार्य किया है। श्री असोकन सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, भारत

भारी उद्योग निगम लिमिटेड, नेपा लिमिटेड, और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के बोर्डों में भी नामिती निदेशक हैं।

(vi) श्री अरुण दत्ता (62 वर्ा) श्री अरुण दत्ता की इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति दिनांकः 14.09.2005 से 3 वर्ा के लिए की गई थी। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा श्री दत्ता का कार्यकाल 14.09.2008 से आगे 03 वर्ा के लिए बढ़ा दिया गया है। श्री दत्ता मैकेनिकल इंजीनियर हैं और विपणन प्रबंधन में उन्होंने स्नातकोत्तर डिपलोमा हासिल किया है। वह एक स्वतंत्र व्यवसायिक सलाहकार हैं तथा उन्हें निगमित नीति, परियोजना प्रबंधन और हैवी इंजीनियरिंग, पावर, अवसंरचना, जल एवं परिवहन जैसे क्षेत्रों में विपणन का सुदीर्घ अनुभव है। श्री दत्ता इण्डिया सीमेंट लिमिटेड के बोर्ड में भी स्वतंत्र निदेशक हैं।

(vii) श्री अंजन कुमार मित्रा (62 वर्ा) श्री अंजन कुमार मित्रा ने ईपीआई के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में 11 मई, 2007 से कार्य ग्रहण किया। श्री मित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया के फैलो सदस्य हैं तथा वे विधि स्नातक हैं। वे "मित्रा एण्ड एसोसिएट्स" नामक एक चार्टर्ड अकाउण्टेंट फर्म के मालिक तथा यूनाइटेड मोहन बागान फुटबाल टीम प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। श्री मित्रा को कराधान, बैंक लेखापरीक्षा और सरकारी लेखापरीक्षा का सुदीर्घ अनुभव है।

3. लेखा-परीक्षा समिति

क. लेखा-परीक्षा समिति का स्वरूप

17 जनवरी, 2008 को आयोजित निदेशक मण्डल की बैठक में केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया और इस समिति की निबंधन और शर्तें निगमित सुशासन से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार ही तय की गई।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भवन, मुम्बई

डा. राम एस. तरनेजा, स्वतंत्र निदेशक और साथ ही लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में फरवरी, 2009 में अपना कार्यकाल पूरा किया इस कारण लेखा परीक्षा समिति का जून, 2009 में पुनर्गठन किया गया। श्री आर. असोकन, निदेशक (एकीकृत वित्त स्कंध), भारी उद्योग विभाग और आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल में सरकारी नामिती को इसमें शामिल किया गया। समिति का वर्तमान स्वरूप निम्नानुसार हैः

नाम	वर्ग
श्री अंजन कुमार मित्रा, अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
श्री आर. असोकन, सदस्य	सरकारी नामिती
श्री ए.के. रतवानी, सदस्य	निदेशक (परियोजनाएं)

वर्ा के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 04 बैठकें क्रमशः 16 मई, 2008, 23 जुलाई, 2008, 11 नवम्बर, 2008 एवं 11 फरवरी, 2009 को आयोजित की गई।

ख. लेखा परीक्षा समिति की भूमिका और शक्तियां

मण्डल द्वारा लेखा परीक्षा समिति की भूमिका और शक्तियों को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीआई) दिशानिर्देशों में दिए गए ब्यौरे के अनुसार अपनाया गया है।

4. पारिश्रमिक समिति

ईपीआई के निदेशक मण्डल ने कंपनी के कर्मचारियों

शाहजहाँ रोड़, नई दिल्ली में यूपीएससी का नवीन भवन

को परिलब्धियों के संदर्भ में सिफारिशें प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन भी निदेशक मण्डल की दिनांकः 09 जून, 2009 को आयोजित की गई 207 वीं बैठक में किया गया। इसमें डा. राम एस. तरनेजा के स्थान पर स्वतंत्र निदेशक श्री अंजन कुमार मित्रा को और श्री अरुण दत्ता, स्वतंत्र निदेशक के स्थान पर सरकारी नामिती श्री आर. असोकन को इस समिति में शामिल किया गया। समिति का वर्तमान स्वरूप निम्नानुसार हैः

नाम	वर्ग
श्री आर असोकन, अध्यक्ष	सरकारी नामिती
श्री अंजन कुमार मित्रा, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
श्री जी.डी. मूरजानी, सदस्य	निदेशक (वित्त)

वर्ा के दौरान पारिश्रमिक समिति की एक बैठक कंपनी में संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन के संबंध में सिफारिश करने के लिए 31 जनवरी 2009 को आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे।

5. प्रकटन

(i) वर्ा 2008-09 के दौरान प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक तथा स्वतंत्र निदेशकों को किए गए बैठक शुल्क भुगतान के विवरण निम्नानुसार हैं -

अ : प्रकार्यात्मक निदेशक

(रू. में)

निदेशकगण	वेतन	परिलब्धि	योग
श्री एस.पी.एस. बक्शी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (05.02.2009 से प्रभावी)	150324	3500	153824
श्री ए.के. रतवानी निदेशक (परियोजनाएं)	1142543	68201	1210744
श्री जी.डी. मूरजानी निदेशक (वित्त)	1380835	66816	1447651

ब. स्वतंत्र निदेशक

(रू. में)

निदेशक	बैठक शुल्क
श्री अरुण दत्ता	रू. 28,000
डा. राम एस.तरनेजा	रू. 44,000
श्री अंजन कुमार मित्रा	रू. 36,000

(i) वर्ा के दौरान, प्रकार्यात्मक निदेशकों के वेतन और गैर प्रकार्यात्मक निदेशकों की बैठक शुल्क को छोड़कर कोई संबंधित पार्टी का लेनदेन नहीं किया गया।

(ii) सांविधिक बकायों की स्थिति के साथ-साथ सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट निदेशक मण्डल के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

(iii) यह पुनः सुनिश्चित किया जाता है कि अपील के अधीन बिक्री कर संबंधी मामले को छोड़कर किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा कोई भी शास्ती, निन्दा आदि अधिरोपित नहीं की गई है।

कंपनी लेखा परीक्षा समिति के गठन को छोड़कर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन के संबंध

डब्लूएसएस वरियाव - 14 मी व्यास पंप हाउस एवं 60 एमएलडी डब्लूटीपी सहित 15 मी. गहरी नदी में 10 मी. व्यास अन्तरग्रहण कूप (इनटेक वैल) का दृश्य

में जारी किए गए दिशा निर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है। लेखापरीक्षा समिति का गठन इसलिए लंबित है क्योंकि दिनांक 21/02/2009 से एक स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल पूरा होने के कारण एक पद रिक्त हो गया है और जोखिम प्रबंधन नीति का भी निरूपण किया जा रहा है।

(iv) वर्ा के दौरान, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यक्षीय दिशानिर्देशों का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है।

(v) वर्ा के दौरान, निदेशक मण्डल और उच्च प्रबंधन के लिए होने वाला निजी प्रकृति का कोई भी व्यय और ऐसा कोई व्यय जो व्यावसायिक खर्च के उद्देश्य से न किया गया हो, को कंपनी की खाताबही से नहीं निकाला गया (डेबिट)।

6. आम बैठकें

वित्त वर्ा के लिए वार्षिक आम बैठकें	वार्षिक आम बैठक की तारीख एवं समय	स्थान
2007-08	26 सितम्बर, 2008, सायं 3.30 बजे	कोर 3, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
2006-07	21 सितम्बर, 2007, सायं 3.30 बजे	कोर 3, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
2005-06	29 सितम्बर, 2006, सायं 3.30 बजे	कोर 3, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली

7. शेयर धारकों के साथ सम्प्रेाण के साधन

कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार और केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सात उपक्रमों के पास है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी में से 99.98% भारत सरकार के पास है। कंपनी अपनी पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं सभी शेयर धारकों की सूचनार्थ वेबसाइट पर प्रदर्शित करती है। वार्षिक रिपोर्ट और शेयरधारकों से

संबंधित अन्य कागजात उन्हें वास्तविक रूप में नियमित रूप में भेजे जा रहे हैं।

8. लेखा परीक्षा संबंधी अर्हताएं

दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्त वर्ा के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत की गई टिप्पणियां और सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां कंपनी की टिप्पणियों सहित निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिट में दी गई हैं।

9. निदेशक मण्डल के लिए प्रशिक्षण

कंपनी निदेशकों को निदेशक मण्डल में अपनी सेवाएं प्रारंभ करने के समय दस्तावेजों और पुस्तिकाओं एक सेट देती है इसमें कंपनी के कार्य-निपादन के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े, संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश आदि शामिल होते हैं। निदेशकों को इस संबंध में आयोजित किए गए सेमिनारों/सम्मेलनों के लिए भी प्रायोजित किया जाता है।

10. आचार संहिता

निदेशक मण्डल ने कंपनी के प्रबंधन से जुड़े वरिठ अधिकारियों और निदेशक मण्डल के सदस्यों के लिए व्यवसाय संचालित करने संबंधी संहिता और नीतियां (नीतिशास्त्र) तैयार किया है। इस संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट http//www.epi.gov.in. में दशाई गई है। कंपनी के निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों और महत्वपूर्ण अधिकारियों ने इस संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया है। इस संबंध में एक घोाणा पत्र रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

11. अनुपालन प्रमाण पत्र

इस रिपोर्ट में केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन से संबंधित दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है और इसमें दिशानिर्देशों के परिशिट-VII में उल्लिखित सुझाई गई सभी मदों को शामिल किया गया है। सार्वजनिक लोक उद्यम विभाग द्वारा निगमित सुशासन के संबंध में सभी अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपार्ट भी प्रशासनिक मंत्रालय को नियमित रूप से भेजी जाती है। केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन से संबंधित सेवारत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

वित्त वर्ा 2008-09 के दौरान निदेशक मण्डल के सदस्यों और प्रबंधन से जुड़े वरिठ अधिकारियों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन से संबंधित अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का घोाणा पत्र

मैं, एसपीएस बक्शी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लि. एतद्द्वारा घोाणा करता हूं कि निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों और कंपनी के प्रबंधन से जुड़े वरिठ अधिकारियों ने वर्ा 2008-09 के दौरान कंपनी के व्यवसाय संचालन संबंधी संहिता और नीतियों (आचार संहिता) का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

(एस.पी.एस. बक्शी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 24.08.2009

अजय गर्ग एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

कार्यालयः पहली मंजिल, 970, सेक्टर-21डी,
फरीदाबाद, 121001 (हरियाणा)
निकट नई दिल्ली
ईमेलः ag_ajaygarg@yahoo.co.in,
gargajay24@yahoo.co.in,
फोनः 95-129-4080970,
मो. 9811386723, 9873186723

निगमित सुशासन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड,
कोर 3, स्कोप कॉम्पलेक्स,
7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड (जिसे यहां आगे कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्त र्वा के लिए निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच, भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग की दिनांकः 22.06.2007 की अधिसूचना संख्या 18(8)/2005-जीएम के तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2007 में किए गए उल्लेख और उसके तहत उल्लिखित अनुबंधों, (जिन्हें यहां आगे दिशानिर्देश कहा गया है) के अनुसार ही की है।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है। हमारी जांच ऊपर दिए गए दिशानिर्देश में उल्लिखित अनुसार निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई नई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित है। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में अपने दृटिकोण की कोई अभिव्यक्ति है।

हमारे दृटिकोण में और हमारी सर्वश्रेठ सूचना और हमें दिए गए स्पटीकरणों के अनुसार हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लेखित निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी जीवन क्षमता के लिए कोई आश्वासन है और न ही प्रभावशीलता की कोई दक्षता है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

हस्ताक्षरः
कृतेः अजय गर्ग एण्ड एसोसिएट्स

(अजय गर्ग)
कंपनी सचिव
सी.पी. संख्याः 4373

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24.08.2009

प्रबंधन परिचर्चा और विश्ले-ण रिपोर्ट

औद्योगिक संरचना और विकास

पिछले लगभग एक दशक के दौरान वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण अभिवृद्धि के पश्चात वर्ा 2007 के अन्त तक मंदी के आसार देखे गए। वर्ा 2008 में विशेा रूप से उत्तरार्द्ध के दौरान 14 सितम्बर 2008 को लेहमन बंधुओं के समाप्त हो जाने के बाद हालात बदतर हो गए। प्रत्येक बड़ा विकसित राट्र मंदी के दौर से गुजर रहा है और यह हालात वर्ा 2009-10 के दौरान भी जारी रहने की संभावना है।

भारत वैश्विक स्तर पर इस वैश्विक मंदी के दुप्रभाव से अछूता नहीं रहा है। वर्ा 2008-09 के दौरान भारत की जीडीपी पिछले राजकोाीय वर्ा में 9% की तुलना में 6.7% हो गई। वर्ा 2008-09 के दौरान इस अभिवृद्धि को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने करों में छूट के रूप में उत्प्रेरक पैकेजों की घोाणा की थी ताकि मांग को बढ़ाया जा सके और रोजगार तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियां सृजित करने के लिए सार्वजनिक परियोजनाओं पर किए जाने वाले व्यय की राशि को बढ़ाया। आरबीआई ने भी उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रणाली से निधियों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तरलता को बढ़ाने संबंधी तथा आर्थिक उदारीकरण से संबंधित बहुत से उपाय किए। इन उपायों के परिणामस्वरूप राजकोाीय घाटे में वर्ा 2008-09 के दौरान तीव्र वृद्धि हुई, यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.2% रहा जबकि वर्ा 2007-08 में यह केवल 3.1% ही था।

पिछले राजकोाीय वर्ा में भारतीय अवसंरचना उद्योग की वृद्धि 2.7% रही जबकि वर्ा 2007-08 में यह वृद्धि 5.9% थी। देश में भारी मात्रा मे निवेश किए जाने के बावजूद भी अवसंरचनात्मक विकास वर्तमान में काफी पीछे चल रहा है तथा आगामी वर्ाों के दौरान बेहतर आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में अवसंरचनात्मक विकास को भारत सरकार के प्रमुख क्षेत्रों की सूची में प्रमुखता से शामिल किया गया है और आगामी कई वर्ाों के दौरान इस क्षेत्र में भारी मात्रा में विकास की योजना बनाई जा रही है। रेल परिवहन, पोर्ट और तटवर्ती अवसंरचना और विमानन संबंधी अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

आने वाले वर्ाों के दौरान देश में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए अपार अवसर उपलब्ध होंगे। भारत सरकार आने वाले वर्ाों के दौरान पूरे देश में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, प्राथमिक रूप से सड़क, एअरपोर्ट और बंदरगाह जिनका विकास निजी और सरकारी कंपनियां तथा सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त उद्यमों, दोनों के माध्यम से किया जा रहा है, को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक विशेा समर्पित निधि की स्थापना संबधी कार्रवाई कर रही है।

ऐसी संभावना व्यक्त की जाती हैं कि वर्तमान वैश्विक मंदी देश में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में किए जाने वाले पूंजी निवेश को निराशाजनक ढंग से प्रभावित करेगी। भारत सरकार इस समस्या से निजात पाने के लिए यथासंभव सभी प्रयास कर रही है और सभी व्यवहार्य विकल्पों की तलाश कर रही है। सरकार अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और कार्यों में पूंजी निवेश को बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रही है क्योंकि वैश्विक स्तर पर इस वित्तीय मंदी ने महत्वपूर्ण निवेश परियोजनाओं में धन की आवक को रोक दिया है।

प्रबल पक्ष और कमजोरियां

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लिमिटेड के पास बहु-आयामी, बड़ी औद्योगिक और निर्माण परियोजनाएं जैसे सिविल और अवसंरचनात्मक कार्य, बिल्डिंगें, कोयला और सामग्री रख-रखाव प्रणालियां, मेटालर्जिकल सेक्टर से जुड़ी परियोजनाएं, प्रक्रिया संयंत्र, पर्यावरण और प्रदूाण नियंत्रण ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं, ट्रांसमिशन लाइनें/सब स्टेशन, जल आपूर्ति, सीवेज और ड्रेनेज से जुड़ी परियोजनाएं, सिचाई/नहर निर्माण कार्य, सड़क और राजमार्ग, एयरपोर्ट, स्पोर्ट स्टेडियम को टर्नकी आधार पर पूरा करने की क्षमता एवं कौशल मौजूद है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लिमिटेड आदि से समापन तक इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण कार्य संबंधी सेवाएं भी प्रदान कर सकती है। इसके अलावा ईपीआई ने संपूर्ण भारत में अपने कार्यों को संचालित करने के उद्देश्य से विभिन्न भौगोलिक स्थानों में अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर रखे हैं।

परन्तु इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लि. में कर्मचारियों की औसत आयु अपेक्षाकृत अधिक है। इसके परिणामस्वरूप

आगामी 2 वर्षों के भीतर बहुत से वरिठ कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और वरिठ प्रबंधन स्तर पर गंभीर समस्या हो रही है। इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लि. ने कार्यकारी स्तर, विशेा रूप से तकनीकी कैडर में कर्मचारियों/अधिकारियों का निजी क्षेत्र में पलायन अधिक है क्योंकि वहां उन्हें बहुत से अवसर तथा अच्छे वेतनमान उपलब्ध हैं।

अवसर और चुनौतियां

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में आगामी 6-7 वर्ा के दौरान अवसंरचनात्मक क्षेत्र में 17,50,000 करोड़ रू. से भी अधिक का व्यय किए जाने की परिकल्पना की गई है। इसमें से 70% से अधिक व्यय इंजीनियरिंग और निर्माण संबंधी विशेाज्ञता हासिल करने में किया जाएगा जो ऐसा क्षेत्र है जिसमें इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लि. मुख्य रूप से काम कर रहा है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) फण्डिंग के अन्तर्गत शहरी नवीनीकरण परियोजनाओं के लिए उच्चतर अवसंरचनात्मक व्यय चिह्नित किया गया। इसके परिणामस्वरूप इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लि. अपनी विशेाज्ञता वाले क्षेत्र - सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) से संबंधित क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों का उच्चतर स्तर पर नेतृत्व कर रही है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लि. इन अवसरों को सफलता की एक कहानी के रूप में परिवर्तित करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहा है। परन्तु कंपनी के प्रबंधन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इस क्षेत्र में मौजूद गला काट प्रतियोगिता, कम मार्जिन पर काम करना और कुशल जनशक्ति को अपने उद्योग/संगठन में रोके रखना अर्थात प्रतिभा पलायन को रोकना है।

खण्डवार और उत्पादवार कार्य-निपादन

कंपनी के कारोबार में सर्वाधिक योगदान आवास और भवन निर्माण से संबंधित कार्यों का है। यद्यपि वर्ा 2007-08 से 2008-09 के दौरान कुल कारोबार में इस क्षेत्र के योगदान में 44% से 42% की आंशिक कमी दर्ज की गई। इसके पश्चात बांध और सिचाई संबंधी परियोजनाएं आती हैं जिनका योगदान क्रमशः 25% से 17% रहा। जलापूर्ति और पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का प्रतिशत 2007-08 में 12% से बढ़कर 2008-09 में 15% हो गया है जबकि परिवहन क्षेत्र में वर्ा 2008-09 के दौरान 10% से 5% की कमी आई है। नीचे दी गई तालिका में कंपनी के प्रचालनों का खण्डवार विश्लेाण प्रस्तुत किया गया हैः

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजनाओं के खण्ड	2006-07		2007-08		2008-09	
		कुल कारोबार	%	कुल कारोबार	%	कुल कारोबार	%
1	आवास और भवन निर्माण कार्य	228.45	30	372.41	44	408.03	42
2	बांध और सिचाई परियोजनाएं	182.64	24	215.73	25	163.76	17
3	औद्योगिक, प्रक्रिया संयंत्र, सामग्री रख-रखाव और विद्युत परियोजनाएं	126.10	16	65.14	8	66.66	7
4	जलापूर्ति और पर्यावरणीय योजनाएं	84.57	11	100.45	12	144.16	15
5	परिवहन संरचनाएं	126.41	17	84.40	10	45.90	5
6	अन्य परियोजनाएं	15.43	2	12.92	1	130.19	14
	जोड़	**763.60**	**100**	**851.05**	**100**	**958.70**	**100**

दृटिकोण

कंपनी का मानना है कि इस अनुकूल आर्थिक परिवेश में कंपनी दिन प्रतिदिन एवं वर्ा दर वर्ा प्रगति के नए आयाम छूती रहेगी। अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत करने के लिए कंपनी वर्तमान परिदृश्य में अपनी कमजोरियों और प्रबल पक्ष का फिर से मूल्यांकन कर रही है और एक दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना तैयार कर रही है, जिससे कंपनी अपनी स्थिति को रणनीतिक ढंग से मजबूत करने में सक्षम हो सकेगी और प्रगति के नए क्षेत्रों की पहचान कर सकेगी।

जोखिम और सरोकार (चिन्ताएं)

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लि. अधिकांशतः भारत सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संविदाओं का कार्य-निपादन कर रही है। कभी-कभी राज्य सरकारों द्वारा यहां निधियों का विचलन किया जाता है। यह स्थिति विशेा रूप से राजनीतिक स्थितियां बदलने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। इससे परियोजना स्थल पर कार्य तथा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लि. का राजस्व दोनों प्रभावित होते हैं। इसके अलावा कार्यस्थल, डिजाइनें/ड्राइंग आदि की उपलब्धता में हाने वाले विलंब से भी ईपीआई का कुल कारोबार प्रभावित होता है और मुकदमेबाजी का जोखिम भी बढ़ जाता है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सभी स्तरों पर ग्राहकों के साथ सुदृढ़ संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने अपने आकार के अनुसार एक आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को ज्यादा प्रभावी और परियोजना की दृटि से अनुकूल बनाने के लिए विस्तृत आन्तरिक लेखापरीक्षा नियम पुस्तक और अन्य लेखाकरण मैनुअलों को अद्यतन किया जा रहा है। आन्तरिक लेखापरीक्षा अनुभाग सीधे अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। आन्तरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा प्रणालियों की समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है और सतत् सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। ईपीआई ने एक "कार्य मैनुअल " तैयार किया है जिसका विमोचन भारी उद्योग विभाग के सचिव श्री एस.एन. दाश ने 28 जुलाई 2009 को किया था।

प्रचालनात्मक कार्य-निपादन के संदर्भ में वित्तीय कार्य-निपादन पर चर्चा

कंपनी का कुल कारोबार वर्ा 2008-09 में 958.70 करोड़ रूपए हो गया है जो गत वर्ा के 851.06 करोड़ रूपए से12.65% अधिक है, कंपनी का ग्रॉस मार्जिन गत वर्ा के 23.69 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ा 2008-09 में 28.59 करोड़ रूपए हो गया है, अर्थात इसमें 20.68% की वृद्धि दर्ज की गई। कर अदा करने से पहले कंपनी का निवल लाभ भी वर्ा 2008-09 में गत वर्ा के 20.14 करोड़ रूपए से बढ़कर 25.66 करोड़ रूपए हो गया है अर्थात इसमें 27.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। परिणामस्वरूप कंपनी की निवल संपत्ति वर्ा 2007-08 के 107.78 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ा 2008-09 में 121.92 करोड़ रूपए हो गई है।

वर्ा के दौरान कंपनी की पूंजीगत संरचना 35.42 करोड़ रूपए की प्रदत्त पूंजी के साथ अप्रभावित रही जो कि 38.95 रूपए के 90, 94, 400 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी ने दिसंबर 2008 में कंपनी की प्रदत्त पूंजी पर 10 प्रतिशत का अंतरिम लाभांश घोाित किया है और अब आपके निदेशक मण्डल ने प्रदत्त पूंजी का 10 प्रतिशत अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इस प्रकार प्रदत्त पूंजी के कुल 20 प्रतिशत लाभांश का भुगतान किया गया। लाभांश, खर्च अनुपात 31.58 प्रतिशत है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में इसके समर्थक समूह की कंपनियों में सबसे अधिक है।

नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास

कर्मचारियों की उत्पादकता पर कंपनी ने विशेा ध्यान दिया है। कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय शुरू किए गए हैं। तकनीकी, प्रबंधकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि कंपनी के कर्मचारियों/अधिकारियों का कौशल बढ़ाया जा सके। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी ने अभी हाल ही में केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए संशोधित वेतनमानों पर लोक उद्यम विभाग की सिफारिशों को लागू कर दिया है।

वर्ा के दौरान कंपनी के कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण और सामंजस्य परक संबंध बने रहे हैं।

पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी विनिमय संरक्षण

(क) पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षण

कंपनी के व्यावसायिक लक्ष्य पूरे करते समय, जिसमें निर्माण परियोजनाएं और सुविधाएं शामिल हैं, के दौरान कंपनी की व्यवसाय नीति तैयार करते समय प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के पहलू पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इस विाय पर पर्यावरण मैनुअल में विशेा समाधान किए गए हैं जो अभी हाल ही में जारी किया जाएगा।

ऐसी प्रक्रियागत अपेक्षाओं के अनुपालन में परियोजनाओं के डिजाइन और निर्माण के दौरान उठाए जाने वाले विशेा कदमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं -

1. परियोजना स्थल पर वृक्षारोपण, पेड़ों की कटाई को रोकना।
2. जहां कहीं संभव है वहां जल संचयन प्रणालियों की स्थापना करना।
3. भवनों की डिजाइनिंग के लिए पर्यावरण की दृटि से अनुकूल प्रौद्योगिकियों जैसे ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी 2007) का प्रयोग करना।

(ख) प्रौद्योगिकीय संरक्षण

निर्माणाधीन परियोजनाओं की तकनीकी अपेक्षाओं का अनुपालन पर्यावरणीय और अपेक्षित स्तर की प्रौद्योगिकी के साथ संबद्ध पर्यावरणीय और प्रक्रिया आंकड़ों के आधार पर डिजाइन तैयार करके किया जाता है। प्रक्रियाओं और उपस्कर के संगत विनिर्देशों का अनुपालन प्लांट स्थापनाओं के लिए सर्वश्रेठ उपलब्ध कारीगरों की सहायता से किया जाता है। इनकी सहायता ग्राहकों को तब उपलब्ध कराई जाती है जब उनके कार्यस्थल और कार्य कौशल का विशेा रूप से निरीक्षण कर लिया जाता है और परियोजना की अपेक्षित सुपुर्दगी के लिए नवीनतम मानकों के अनुसार प्रक्रियाओं की जांच कर ली जाती है।

माइक्रो टनलिंग जो कि एक आधुनिक प्रौद्योगिकीय पद्धति है, को कंपनी द्वारा वर्तमान वर्ा के दौरान अधिक व्यास वाली आरसीसी पाइप लाइनों को भूमिगत आधार पर बिछाने के लिए अपनाया गया है।

प्रशासनिक भवन असम राइफल्स, लैतकोर शिलौंग

विभिन्न परियोजनाओं का प्रौद्योगिकीय प्रलेखन संदर्भ के लिए केन्द्रीयकृत स्थानों में सुरक्षित रखा जाता है और भविय में कंपनी द्वारा आवश्यक अनुप्रयोगों में इसका प्रयोग किया जाएगा।

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा विकास

कंपनी ने नई प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करने के लिए एक दीर्घकालीन रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें ऊर्जा के नवीकरणीय रूप को शामिल किया गया है जिसे ऐसा माना जाता है कि आगे आने वाले दशकों मं यह औद्योगिक कार्यकलापों में विशेा रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सौर ऊर्जा, पवन आधारित और समुद्र आधारित ऊर्जा के कुछ रूपों से अपेक्षा है कि वे औद्योगिक नीति निर्माताओं का इस ओर ध्यान अवश्य आकर्ति करेंगे। इसके परिणामस्वरूप आगे आने वाले उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली जीवनक्षम प्रौद्योगिकियों की तेजी से वृद्धि सुनिश्चित होगी। कंपनी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित कर रही है।

(घ) विदेशी विनिमय संरक्षण

उद्योगों और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अपेक्षित है कि वैश्विक परिदृश्य में प्रतियोगी बने रहने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकियों के संबद्ध लाभों और लागत का सदुपयोग किया जाए। अग्रणी प्रौद्योगिकियों की शुरूआत के लिए आवश्यक है कि विदेशी मुद्रा में निधियों का पर्याप्त बहिर्गमन अवश्य किया जाए।

कंपनी की नीतिगत दृटिकोण ने कंपनी को भारत में आधुनिक उत्पादन और संसाधन सुविधाओं की स्थापना में विकसित हो

रही प्रौद्योगिकियों के सदुपयोग के लिए सक्षम बनाया है। बहुत से ऐसे संयंत्रों कुछ मशीनरी, उपस्कर और सुविधाओं को शामिल किया गया है जिन्हें देशी स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से डिजाइन किया गया है और भारतीय स्थितियों में उन्हें प्रचालित करने के लिए विदेश आधारित प्रौद्योगिकी डिजाइन को अपनाया गया है। इस प्रकार प्लांट और उपस्करों के प्रत्यक्ष आयात को काफी हद तक कम किया गया है। केवल ऐसे ही आइटमों/सामग्री का आयात किया गया है जो केवल विदेशी स्रोतों से उपलब्ध होती है और स्वामित्व वाली प्रकृति के होते हैं। विदेश में विकसित नई प्रौद्योगिकी के आधार पर विस्तृत इंजीनियरिंग, विनिर्माण और असेम्बली की सुविधाओं में भारतीय विशेाज्ञता का प्रयोग करते हुए उन्नत डिजाइन और तकनीकी विशेाताओं के समिश्रण के माध्यम से विदेशी विनियम का महत्वपूर्ण संरक्षण संभव हुआ है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

ईपीआई अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझती है और प्रभावशाली ढंग से समाज के लिए योगदान सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। इस दिशा में कंपनी द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में सामुदायिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यकलाप शामिल हैं। कंपनी परियोजना स्थल पर कार्य करने वाली अकुशल जनशक्ति के लिए कल्याण कार्यकलापों का आयोजन करती है और परियोजना और आस-पास के क्षेत्र में वृक्षारोपण करती है ताकि निर्माण कार्य संबंधी गतिविधियों के प्रभाव को समाप्त किया जा सके।

सचेतक वक्तव्य

प्रबंधकीय विचार-विमर्श और विश्लेाण रिपोर्ट में कंपनी के उद्देश्यों, इरादों और अपेक्षाओं को लागू विधियों और विनियमों की अर्थाभिव्यक्ति के भीतर"अग्रगामी दृटिकोण" माना जाए। वास्तविक परिणाम व्यक्त किए गए अथवा निहित परिणामों से आंशिक रूप से अथवा वास्तविक रूप से अलग हो सकते हैं। कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित कर सकने वाले महत्वपूर्ण विकास कार्यों में अवसंरचना क्षेत्र में मंदी, भारत में राजनीतिक और आर्थिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, विनिमय दर के उतार-चढ़ाव, कर, विधियां, मुकदमबाजी और श्रमिक संबंध शामिल होते हैं।

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के उत्तर

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट/टिप्पणियां	कंपनी का उत्तर
1. हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लि. (जिसे "कंपनी" कहा गया है) का 31 मार्च 2009 का संबद्ध तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा और उपर्युक्त तारीख को समाप्त होने वाले वर्ा के लिए संलग्न नकदी प्रवाह से संबंधित विवरण (जिसे सामूहिक तौर पर "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है), जिसमें पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यालयों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की होती है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपना दृटिकोण प्रस्तुत करने की है।	
2. हमने लेखापरीक्षा का कार्य सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुसार किया है। इन मानदण्डों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और कार्य-निपादन यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार करें कि कंपनी के वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की गलत बयानबाजी न की गई हो। किसी भी लेखापरीक्षा में इस बात की जांच निहित होती है कि वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों को स्पट तौर पर उजागर किया गया हो और उनके साक्ष्य के तौर पर संगत दस्तावेज संलग्न किए गए हों। लेखापरीक्षा में इस बात का मूल्यांकन भी शामिल होता है कि लेखाकरण के किन सिद्धांतों का उपयोग किया गया है और महत्वपूर्ण अनुमान प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं। इसके साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों का बारीकी से मूल्यांकन भी लेखापरीक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे विचारों के लिए यथोचित आधार प्रदान करती है।	
3. भारत सरकार द्वारा जारी किया गया कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 ("आदेश") कंपनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) की धारा 227 की उप धारा (4 क) के संदर्भ में (यथा संशोधित) आवश्यकता के अनुसार हम एक अनुबंध संलग्न करते हैं जिसमें उपर्युक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिट किए गए मामलों के संबंध में एक विवरण दिया गया है।	
4. इसके अलावा उपर्युक्त संदर्भ में हमारी टिप्पणियों के संबंध में रिपोर्ट किया जाता है कि:	
क. हमने वे सभी सूचनाएं व स्पटीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
ख. हमारे दृटिकोण में कंपनी द्वारा विधि के अनुसार आवश्यक उचित लेखाबही तैयार की गई है। जहां तक इन लेखाबहियों की हमारे द्वारा की गई जांच का सवाल है तो लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त एवं उचित जानकारी हमें उन शाखाओं से भी प्राप्त हुई है जिनका दौरा हमारे द्वारा नहीं किया गया है;	कोई टिप्पणी नहीं
ग. शाखाओं के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रेाति की गई है और अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय उस पर उचित कार्रवाई की गई है;	कोई टिप्पणी नहीं
घ. इस रिपोर्ट में दर्शाए गए वित्तीय विवरण लेखाबही में उल्लेखित विवरणों के साथ उचित तालमेल रखते हैं;	कोई टिप्पणी नहीं
ड. निदेशकों की अनअर्हता के संदर्भ में कंपनी कार्य विभाग के दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 के स्पटीकरण संख्या जी.एस.आर. 829 (ई) के तहत भारत सरकार की कंपनियों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (जी) के उपबंधों से छूट प्रदान की गई है;	कोई टिप्पणी नहीं
च. अनुसूची 19 (ख) की टिप्पणी 2 में उल्लिखित किए अनुसार 4,605,400 रू. की राशि वाले आंतरिक निर्माण कार्य और साज-सज्जा आदि की लागत के संबंध में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. (लोक उपक्रमों में से एक) के दावे का लंबित निपटान, पूंजीकरण और परिणामी	अनुसूची 19 के नोट ब-2 में उल्लेख किया गया है

मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है। हम राजस्व, परिसंपत्तियों और देनदारियों पर इसके परिणामी प्रभाव के बारे में अपना दृटिकोण व्यक्त नहीं कर सकते हैं;

छ. अनसूची 19 (ब) की टिप्पणी 3 (क) में किए गए उल्लेख के अनुसार विभिन्न ग्राहकों, सहायकों, पूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों के बकाया डेबिट और क्रेडिट का पुनर्मिलान किया जाना है तभी इनको सुनिश्चित माना जाएगा। हम पुनर्मिलान और इन बकायों के अंतिम निपटान के परिणामस्वरूप लेखों में किए जाने वाले समायोजनों के प्रभाव के बारे में अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं और न ही इनकी राशियां सुनिश्चित करते हुए कोई समेकित टिप्पणी दे सकते हैं; — अनुसूची 19 के नोट ब-3 (क) में उल्लेख किया गया है

ज. अनुसूची 19 (ब) टिप्पणी 3 (ख) में किए गए उल्लेख के अनुसार उपभोक्ता द्वारा जारी की गई मुफ्त सामग्री जिसे सहयोगियों को आपूर्त किया गया है, पुनर्मिलान और पुटि के अध्यधीन है। हम पुनर्मिलान और इन बकाया राशियों के अंतिम निपटान के परिणामस्वरूप किए जाने वाले समायोजनों के प्रभाव के संबंध में पुटि करने और अपनी रिपोर्ट देने में सक्षम नहीं हैं; — अनुसूची 19 के नोट ब-3 (ख) में उल्लेख किया गया है

झ. अनुसूची 19 (ब) की टिप्पणी 4 में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्तीय रिकार्डों के सत्यापन और दुबई लैगून परियोजना के निपटान न किए जाने के कारण हम कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति/लाभप्रदता पर इसके प्रभाव के संबंध में अपनी पुटि और रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। — अनुसूची 19 के नोट बी-4 में उल्लेख किया गया है

ञ. अनुसूची 19 (ब) की टिप्पणी 6 में किए गए उल्लेख के अनुसार कंपनी ने संविदाओं को विवादित तरीके से समाप्त किया है जिसके बाद न्यायालयों/ माध्यस्थम की स्थाई मशीनरी (विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार) के पास लंबित हैं। जोखिम और खरीद संबंधी उपबंध को पुनः प्रवृत्त करने, जहां उसे उपभोक्ताओं द्वारा पुनः प्रवृत्त किया गया है, के कारण उत्पन्न होने वाली देनदारी, यदि कोई है, का उल्लेख नहीं किया गया है। चूंकि इसकी पुटि और सूचना उपभोक्ताओं द्वारा नहीं की गई है। हम पुनर्मिलान और उन मामलों के अंतिम निपटान के परिणामस्वरूप किए जाने वाले समायोजनों के प्रभाव की पुटि और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। — अनुसूची 19 के नोट ब-6 (ख) में उल्लेख किया गया है

ट. अनुसूची 19 (ब) की टिप्पणी 12 (ख) में किए गए उल्लेख के अनुसार ग्रेच्युटी से संबंधित कर्मचारी लाभ के संदर्भ में सूचना नहीं दी गई है जबकि लेखाकरण मानक 15 के अन्तर्गत यह आवश्यक है। — अनुसूची 19 के नोट ब-12 (ख) में उल्लेख किया गया है

5. हमारे दृटिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पटीकरणों के अनुसार इस रिपोर्ट के साथ संलग्न वित्तीय विवरण पैरा 3 (च) से (ट) तक उल्लेखित ऐसे समायोजनों के प्रभावों, यदि कोई हैं, के अध्याधीन कंपनी अधिनियम की धारा 211 की उपधारा 3 (स) में संदर्भित लेखाकरण मानकों और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली का अनुपालन करते हैं और अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक सूचना अपेक्षित ढंग से दी गई है तथा निम्नलिखित मामलों में भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप एक स्पट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं-

i) 31 मार्च 2009 को कंपनी के कार्यों की स्थिति के संबंध में तुलन पत्र;

ii) 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ा के लिए लाभ संबंधी लाभ और हानि लेखा; और

iii) 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ा के लिए नकदी प्रवाह हेतु नकदी प्रवाह विवरण

कृते वाकर, चंदोक एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

ह./-
बी.पी. सिंह
भागीदार
सदस्यता सं.70116

कृते इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड

(एस.पी.एस. बक्शी)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 20.08.2009

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट/टिप्पणियां	कंपनी का उत्तर
कंपनी के वित्तीय विवरणों की सही और स्पट तस्वीर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से और हमें दी गई सूचना और स्प-टीकरणों और खाताबहियों व लेखापरीक्षा के दौरान सामान्यतः हमारे द्वारा जांच किए गए अन्य रिकार्डों को ध्यान में रखते हुए की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हम निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं-	
(i) (क) कंपनी द्वारा उचित रिकार्ड तैयार किए गए हैं। इनमें मात्रात्मक विवरणों और निर्धारित परिसंपत्तियों की स्थिति सहित सभी विवरण स्पट रूप से दिए गए हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(ख) निर्धारित परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन प्रबंधन द्वारा र्वा के दौरान किया गया है और र्वा में दो बार इनके सत्यापन के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है जो हमारे दृटिकोण से कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुसार सर्वथा उचित है। ऐसे सत्यापन के दौरान कोई भी वास्तविक कमी चिह्नित नहीं की गई।	कोई टिप्पणी नहीं
(ग) हमारे दृटिकोण से निर्धारित परिसंपत्तियों के एक आंशिक भाग का निपटान र्वा के दौरान नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ii) (क) प्रबंधन द्वारा र्वा के दौरान इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन स्वयं किया गया है। हमारे दृटिकोण से सत्यापन की आवृत्ति उचित है।	कोई टिप्पणी नहीं
ख. प्रबंधन द्वारा इनवेंटरी के वास्तविक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाएं कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित और पर्याप्त हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
ग. कंपनी ने इनवेंटरी का उचित रिकार्ड बनाया है और वास्तविक सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की वास्तविक कमी नहीं पाई गई।	कोई टिप्पणी नहीं
(iii) कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को/से कोई भी सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण न तो लिया है और न ही मंजूर किया है। तद्नुसार आदेश के उपबंधों 4 (iii) (क) से (घ) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(iv) हमारे दृटिकोण से कंपनी ने इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार इनवेंटरी और निर्धारित परिसंपत्तयों की खरीद तथा माल और सेवाओं की बिक्री के लिए पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। इसके अलावा हमें उपर्युक्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी भी बड़ी कमजोरी को ठीक करने के संबंध में कंपनी द्वारा निरन्तर की जा रही कोई भी चूक देखने को नहीं मिली है। फिर भी आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है ताकि इसे कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुकूल बनाया जा सके।	नोट किया
(v) कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 में संदर्भित संविदाएं अथवा करार नहीं किए हैं। तदनुसार आदेश के उपबंध 4 (v) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(vi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 58 क और 58 कक और कंपनी (स्वीकृति और जमा) नियमावली 1975 की अर्थाभिव्यक्ति के अन्तर्गत जनता से कोई भी जमा राशियां स्वीकार नहीं कीं। तद्नुसार आदेश के उपबंध 4 (VI) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(vii) कंपनी की एक आन्तरिक लेखा प्रणाली है, हमारे दृटिकोण से उसकी व्याप्ति और अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने की आश्यकता है। ताकि वह कंपनी के आकार और व्यापार की प्रकृति के अनुसार हो सके।	आन्तरिक लेखा प्रणाली की व्याप्ति और अधिकार क्षेत्र को सुपरिभाति किया गया है और तदुनसार लेखापरीक्षा की जाती है।
(viii) हमारे यथेट ज्ञान और विश्वास के आधार पर केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के उपबंध (घ) के अन्तर्गत कंपनी के उत्पादों के संदर्भ में लागत रिकार्डों के रख-रखाव	कोई टिप्पणी नहीं

को भी प्रावधानित नहीं किया है। तदनुसार आदेश का उपबंध-4 (VIII) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(ix) (क) कंपनी सामान्यतः आयकर, संपत्तिकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य वास्तविक सांविधिक देयताओं सहित यथा लागू अविवादित सांविधिक देयताएं उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कर रही है और वर्ा के अन्त में भुगतान के लिए देय होने की तारीख से छः माह से अधिक अवधि के लिए कोई भी गैर विवादित राशियां इस संबंध में देय नहीं हैं। परन्तु हम आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत स्रोत पर की गई कटौती और सेवा कर, भविय निधि और प्रति सत्यापन के माध्यम से नियंत्रण की कमी और विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियमों के मद में कर्मचारी राज्य बीमा के संदर्भ में देनदारी, यदि कोई है, के अननुपालन के संबंध में किसी भी देनदारी के बारे में अपना मत व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों/स्थल कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी एसोसिएट्स भविय निधि, कर्मचारी राज्य बीमा आदि जैसे सांविधिक बकायों के भुगतान संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें और स्रोत पर काटा गया कर आयकर अधिनियम/विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियमो के उपबंधों के अनुसार जमा कराया जाए। इसके अलावा सहयोगियों के संबंध में सेवा कर, बिक्री कर, भविय निधि, कर्मचारी राज्य बीमा के संदर्भ में सभी सहयोगी संबंधित प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत हैं और वे किसी भी अननुपालन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं।

(ख) विवादित मामलों के संबंध में बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क, उपकर, वसूलियों आदि के संदर्भ में बकाया देयताएं निम्नानुसार हैं-

अनुसूची 19 की टिप्पणी संख्या ब-1 (क) में वांछित जानकारी दी गई है। शीघ्र समाधान के लिए उचित स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मामलों को उठाया जा रहा है।

संविधि का नाम	बकायों की प्रकृति	राशि (रू. में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित ह
उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	8,409,506	1975-76, 1976-77 और 1977-78	एसटीओ अलीगढ़
दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975	शास्ति	40,000	1990-91	सहायक आयुक्त, बिक्री कर
दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975	सीएसटी	9,745,379	1995-96, 1997-98 और 1998-99	अपर आयुक्त, बिक्री कर
उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम 1947	उड़ीसा बिक्री कर	17,501	1997-98	वाणिज्यिक कर अधिकारी
उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	872,500	1993-94	बिक्रीकर अधिकरण
उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	322,913	1997-98	सहायक आयुक्त बिक्री कर, सुंदरगढ़ रेंज, राउरकेला के समक्ष
तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1959	टीएनजीएसटी	10,196,988	1997-98	बिक्री कर अधिकरण अतिरिक्त शाखा
कर्नाटका बिक्री कर अधिनियम 1957	बिक्री कर मांग	1,845,658	2002-03	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय फास्ट ट्रैक-41 सेशाद्रीपुरम बंगलौर

संविधि का नाम	बकायों की प्रकृति	राशि (रू. में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित ह
कर्नाटका बिक्री कर अधिनियम 1957	अतिरिक्त मांग	5,913,918	2003-2004	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय फास्ट ट्रैक-41 सीडी 2 और 4 बंगलौर
कर्नाटका बिक्री कर अधिनियम 1957	अतिरिक्त मांग	3,553,779	2004-05	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय फास्ट ट्रैक-41 सीडी 2 और 4 बंगलौर
गुजरात बिक्री कर अधिनियम 1969	वैट गुजरात	205,694	2004-05	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील), अहमदाबाद, गुजरात
गुजरात बिक्री कर अधिनियम 1969	वैट गुजरात	16,298,974	2005-06	गुजरात, मूल्यवर्धित कर अधिकरण अहमदाबाद, गुजरात
	योग	**57,422,810**		

(x) हमारे दृटिकोण में कंपनी की वित्त र्वा के अंत में कोई भी संचित हानियां नहीं हैं और इसने चालू और तत्काल पूर्ववर्ती र्वा में कोई भी नकद घाटा नहीं उठाया है। — कोई टिप्पणी नहीं

(xi) कंपनी की र्वा के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा किसी बैंक अथवा डिवेंचर धारक की कोई भी बकाया राशि देय नहीं है। तदनुसार आदेश के उपबंध-4 (xi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। — कोई टिप्पणी नहीं

(xii) कंपनी ने शेयरों, डिवेंचरों और अन्य सुरक्षा निधियों को रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर किन्हीं ऋणों तथा अग्रिमों की गारंटी नहीं दी है तद्नुसार आदेश के उपबंध 4 (xii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। — कोई टिप्पणी नहीं

(xiii) हमारे दृटिकोण में कंपनी कोई चिट फंड अथवा निधि/आपसी लाभार्थ निधि/सोसाइटी नहीं है। तदनुसार आदेश के उपबंध 4 (xiii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। — कोई टिप्पणी नहीं

(xiv) हमारे दृटिकोण में कंपनी शेयरों/प्रतिभूतियों, डिवेंचरों और अन्य निवेशों का कार्य अथवा व्यापार नहीं करती है। अतः आदेश के उपबंध 4 (xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते। — कोई टिप्पणी नहीं

(xv) कंपनी ने अन्य लोगों द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई भी गारंटियां प्रस्तुत नहीं की हैं। तदनुसार आदेश के उपबंध 4 (xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। — कोई टिप्पणी नहीं

(xvi) कंपनी का र्वा के दौरान कोई भी आवधिक ऋण बकाया नहीं है। तदनुसार आदेश के उपबंध 4 (xvi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। — कोई टिप्पणी नहीं

(xvii) कंपनी की र्वा के दौरान कोई भी उधार ली गई राशियां बकाया नहीं हैं तदनुसार आदेश के उपबंध 4 (xvii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। — कोई टिप्पणी नहीं

(xviii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी भी पक्षकार अथवा कंपनियों को शेयरों का कोई भी आवंटन प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया है। तदनुसार आदेश के उपबंध 4 (xviii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। — कोई टिप्पणी नहीं

(xix) कंपनी ने र्वा के दौरान न तो कोई डिबेंचर जारी किए हैं और न ही उसके पास कोई बकाया डिबेंचर हैं। तदनुसार आदेश के उपबंध 4 (xix) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। — कोई टिप्पणी नहीं

(xx)	कंपनी ने वर्ा के दौरान सार्वजनिक मामलों द्वारा कोई भी धनराशि एकत्र नहीं की है। तदनुसार आदेश के उपबंध 4 (xx) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(xxi)	हमारी लेखापरीक्षा में शामिल की गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अथवा उस पर किसी भी धोखाधड़ी का मामला नहीं देखा गया अथवा रिपोर्ट किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं

कृते वाकर, चंदोक एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

ह./-
बी.पी. सिंह
भागीदार
सदस्यता सं.70116

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 20.08.2009

कृते इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड

(एस.पी.एस. बक्शी)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

तुलन पत्र 31 मार्च, 2009

(राशि रू. में)

	अनुसुची	2009	2008
निधि स्रोत			
शेयर धारकों की निधि			
शेयर परिसंपत्ति	1	354,226,880	354,226,880
आरक्षित व अधिशेष	2	865,051,997	723,582,498
		1,219,278,877	**1,077,809,378**
निधि प्रयोज्यता			
अचल परिसंपत्ति			
सकल ब्लॉक		159,417,345	159,386,817
घटाइए : इस तारीख तक का मूल्यह्रास		115,007,253	109,188,187
निबल ब्लॉक	3	**44,410,092**	**50,198,630**
चालू परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम			
निर्माणाधीन कार्य	4	24,883,553,329	19,487,905,572
वस्तु सूचियां	5	892,576	12,710,127
विविध देनदार	6	1,567,250,012	1,210,654,941
नकदी और बैंक शेष	7	1,534,821,413	1,595,352,934
अन्य चालू परिसंपत्तियां	8	56,267,921	14,398,412
ऋण व अग्रिम	9	9,945,269,060	5,821,727,806
		37,988,054,311	28,142,749,792
घटाइए : चालू देयताएं व प्रावधान			
चालू देयताएं	10	36,467,013,076	26,843,445,972
प्रावधान	11	346,172,450	271,693,072
		36,813,185,526	27,115,139,044
निबल चालू परिसंपत्तियां		**1,174,868,785**	**1,027,610,748**
		1,219,278,877	**1,077,809,378**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं वित्तीय विवरण के संबंध में टिप्पणियां	**19**		

ऊपर संदर्भित वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग है

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

(कुमुदनी शर्मा)
कंपनी सचिव

(एम.के. आनन्द)
ग्रुप महा प्रबंधक

(जी.डी. मूरजानी)
निदेशक (वित्त)

(एस.पी.एस. बक्शी)
अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेश

यह तुलन पत्र हमारी समसंख्यक तारीख में संदर्भित तुलन पत्र है

वाकर चंदोक एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

द्वारा **बी.पी. सिंह**
भागीदार
सदस्यता संख्या 70116

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 अगस्त 2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेख

(राशि रू. में)

	अनुसुची	2009	2008
आय			
वर्ष में किया गया कार्य		9,577,074,452	8,510,200,942
प्राप्त दावे		68,522,417	4,865,268
विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव (निबल)		-	2,522,141
अन्य आय	12	72,651,710	41,869,342
ब्याज से होने वाली आय	13	176,796,017	164,147,080
		9,895,044,596	**8,723,604,773**
व्यय			
प्रत्यक्ष व्यय	14	9,039,462,794	8,035,752,017
भुगतान किए गए दावे		38,050,851	22,072,656
प्रशासनिक व्यय	15	433,164,097	405,144,655
वित्तीय लागत	16	21,470,285	26,390,003
मूल्यह्रास		7,815,578	9,156,963
संविदागत आकस्मिकताएं		94,319	40,914
विदेशी विनिमिय में उतार-चढ़ाव (निबल)		1,010,928	-
		9,541,068,852	**8,498,557,208**
कर अदायगी से पहले लाभ और पहले वाली अवधि के आइटम		**353,975,744**	**225,047,565**
कर संबंधी व्यय			
वर्तमान कर - न्यूनतम वैकल्पिक कर		28,668,746	22,160,855
फ्रिंज बेनीफिट टैक्स		3,565,524	3,882,510
कर अदायगी के पश्चात लाभ और पूर्वावधि से पहले वाले आइटम		**321,741,474**	**199,004,200**
पूर्वावधि के दौरान किए गए समायोजन (निबल)	17	(97,386,429)	(23,685,309)
कर अदायगी के पश्चात लाभ और पूर्वावधि आइटम		**224,355,045**	**175,318,891**
गत वर्ष से आगे लाई गई बकाया राशि		679,372,478	656,457,851
1 अप्रैल 2008 को कर्मचारियों के लाभार्थ किए गए समायोजन		-	(52,932,329)
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**903,727,523**	**778,844,413**

(राशि रू. में)

	अनुसुची	2009	2008
विनियोजन			
अन्तरिम लाभांश		35,422,688	35,422,688
प्रस्तावित लाभांश		35,422,688	35,422,688
निगमित लाभांश कर		12,040,170	13,618,251
धन कर		-	8,308
सामान्य आरक्षित		20,000,000	15,000,000
तुलन पत्र में लाए गए शेष		800,841,977	679,372,478
		903,727,523	**778,844,413**
मूल व घटाया हुआ उपार्जन प्रति इक्विटी शेयर	18	24.67	19.28
अंकित मूल्य प्रति शेयर (रू. में)		38.95	38.95
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियां	19		

ऊपर संदर्भित वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग है

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

(कुमूदनी शर्मा)
कंपनी सचिव

(एम.के. आनन्द)
ग्रुप महा प्रबंधक

(जी.डी. मूरजानी)
निदेशक (वित्त)

(एस.पी.एस. बक्शी)
अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेश

यह तुलन पत्र हमारी समसंख्यक तारीख में संदर्भित तुलन पत्र है

वाकर चंदोक एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

द्वारा **बी.पी. सिंह**
भागीदार
सदस्यता संख्या 70116

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 अगस्त 2009

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रू. में)

	2009	2008
अनूसूची - 1		
शेयर पूंजी		
प्राधिकृत		
233,480,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 38.95 रू.	9,094,046,000	9,094,046,000
(गत वर्ष के 233,480,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक रू. 38.95 का)		
	9,094,046,000	**9,094,046,000**
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त		
9,094,400 इक्विटी शेयर प्रत्येक 38.95 रू. का पूर्ण प्रदत्त (गत वर्ष के 9,094,400 इक्विटी शेयर प्रत्येक रू. 38.95 का पूर्ण प्रदत्त)	354,226,880	354,226,880
	354,226,880	**354,226,880**
अनुसूची - 2		
आरक्षित अधिशेष		
पूंजीगत आरक्षित	210,020	210,020
सामान्य आरक्षित		
अथशेष बकाया	44,000,000	29,000,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान जोड़	20,000,000	15,000,000
	64,000,000	44,000,000
लाभ एवं हानि लेख		
अथशेष बकाया	679,372,478	656,457,851
घटाएं : 01.04.2008 को कर्मचारियों के लाभार्थ किए गए समायोजन	-	52,932,329
	679,372,478	603,525,522
जोड़ें : वर्ष के दौरान जोड़	121,469,499	75,846,956
	800,841,977	679,372,478
	865,051,997	**723,582,498**

अनुसूची - 3 अचल परिसंपत्तियां

(राशि रू. मे)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास			निविल ब्लॉक		
	1 अप्रैल 2008	परिवर्धन	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च 2009	1 अप्रैल 2008	वर्ष कि लिए	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च 2009	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008
भूमि पट्टे पर	1,615,856	-	-	1,615,856	-	-	-	-	1,615,856	1,615,856
भवन पट्टे पर	47,119,595	-	-	47,119,595	16,905,724	802,453	-	17,708,177	29,411,418	30,213,871
भवन पूर्ण स्वामित्व वाले	1,270,132	-	-	1,270,132	533,454	21,338	-	554,792	715,340	736,678
निर्माण उपस्कर	47,294,822	-	293,822	47,001,000	44,670,645	181,099	279,131	44,572,613	2,428,387	2,624,177
फर्नीचर और फिक्सचर	9,794,565	437,400	690,302	9,541,663	7,017,558	549,187	510,562	7,056,183	2,485,480	2,777,007
कार्यालय उपस्कर	14,015,205	750,266	1,344,188	13,421,283	10,498,927	1,150,206	1,131,664	10,517,469	2,903,814	3,516,278
डेटा प्रोसेसिंग मशीन और कंप्यूटर	34,391,786	1,800,179	624,505	35,567,460	26,848,025	4,717,341	325,939	31,239,427	4,328,033	7,543,761
वाहन	3,884,856	-	4,500	3,880,356	2,713,854	649,238	4,500	3,358,592	521,764	1,171,002
जोड़	**159,386,817**	**2,987,845**	**2,957,317**	**159,417,345**	**109,188,187**	**8,070,862**	**2,251,796**	**115,007,253**	**44,410,092**	**50,198,630**
गत वर्ष	164,998,958	10,709,950	16,322,091	159,386,817	115,351,243	9,259,716	15,422,772	109,188,187	50,198,630	

8,070,862 रू. के मूल्यह्रास में गत वर्ष का रूपए 255,384 का मूल्यह्रास शमिल है

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रू. में)

	2009	2008
अनुसूची - 4		
कार्य प्रगति पर		
अथशेष बकाया	19,487,905,572	16,358,823,477
जोड़ें : वर्ष के लिए किया गया कार्य	9,577,074,452	8,510,200,942
	29,064,980,024	24,869,024,419
जोड़ें : पूर्वावधि में किए गए समायोजन	-	10,450,085
	29,064,980,024	24,879,474,504
घटाएं : पूरी की गई संविदाएं	4,181,426,695	5,391,568,932
	24,883,553,329	**19,487,905,572**
अनुसूची - 5		
वस्तु सूचियां		
(प्रबंधन द्वारा अपनाएं मूल्यांकित और प्रमाणित किए अनुसार		
निर्माण कार्य का भंडार		
लागत पर सामग्री (सहयोगियों द्वारा रोक कर रखी गई सामग्री शमिल है)	892,576	12,710,127
	892,576	**12,710,127**
अनुसूची - 6		
विविध देनदार		
(अनारक्षित)		
छः माह से अधिक के बकाया ऋण		
वसूली योग्य समझे गए	765,404,574	723,254,973
संदेहास्पद समझे गए	22,538,855	22,538,855
अन्य (वसूली योग्य समझे गए)	801,845,438	487,399,968
	1,589,788,867	1,233,193,796
घटाएं : संदेहास्पद कर्जों के लिए प्रावधान	22,538,855	22,538,855
	1,567,250,012	**1,210,654,941**

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रू. में)

	2009	2008
अनुसूची - 7		
नकद और बैंको में जमा राशियां		
हाथ में नकदी	138,760	2,438,659
उपलब्ध चैक	1,941,321	-
डाक अग्रदाय	409	123
मार्गस्थ चैक	22,000,000	2,052,379
अनुसूचित बैंकों में जमा राशियां		
चालू खाते	60,463,920	614,151,869
जमा खाते	1,450,277,003	976,709,904
	1,534,821,413	**1,595,352,934**
अनुसूची - 8		
अन्य चालू परिसंपत्तियां		
उर्पाजित ब्याज परन्तु जमा राशियों पर नहीं	56,267,921	14,398,412
	56,267,921	**14,398,412**

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रू. में)

		2009		2008
अनुसूची - 9				
ऋण और अग्रिम				
(अनारक्षित, वसूली योग्य समझे गए, अन्यथा प्रावधान किए जाने तक)				
नकद अथवा वस्तु रूप में वसूल किए जाने वाले अग्रिम अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण (अधिकारियों को दिया गया रू. 5,26,929 का ऋण शामिल है) (गत वर्ष रू. 11,37,255) वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि रू. 28,74,538 (गत वर्ष रू. 18,44,906)		14,463,909		15,998,007
निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम स्थल पर सामग्री के लिए आरक्षित		117,559,051		63,187,710
बैंक गारंटी के रूप में आरक्षित		661,831,230		394,231,203
अन्य रू. 58,383,656 शामिल है। (गत वर्ष रू. 173,197,502) (संदेहास्पद माने गए)	58,608,583		189,417,622	
घटाएं : संदेहास्पद अग्रिमों कि लिए प्रावधान	58,383,655	224,928	173,197,502	16,220,120
कर्मचारियों से वसूल किए जाने योग्य राशियां		940,378		1,093,778
अन्यों से वसूल किए जाने योग्य राशियां जिसमें रू. 31,632,803 शामिल हैं (गत वर्ष रू. 31,632,335) को	7,846,081,407		4,186,383,674	
घटाएं : संदेहास्पद अग्रिमों कि लिए प्रावधान	31,632,803	7,814,448,604	31,636,335	4,154,747,339
स्रोत पर काटा गया कर		169,882,000		157,153,932
सुरक्षा निधि के रूप में जमा और रोककर रखी गई धनराशि निर्माण कार्य (रू.39,395,706 (गत वर्ष रू. 39,395,706) शमिल है, को संदेहास्पद माना गया	1,187,824,315		1,048,860,397	
घटाएं : संदेहास्पद अग्रिमों कि लिए प्रावधान	39,395,706	1,148,428,609	39,395,706	1,009,464,691
अन्य	17,646,609		9,787,284	
घटाएं : संदेहास्पद सुरक्षा निधि और रोककर रखी जाने वाली निधि (जिसमे 156,228 रू.) शामिल हैं, (गत वर्ष 156,228) को संदेहास्पद माना गया	156,258	17,490,351	156,258	9,631,026
		9,945,269,060		**5,821,727,806**

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रू. में)

	2009	2008
अनूसूची - 10		
वर्तमान देयदारियां		
सुक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों को बकाया देय राशियां	5,831,117	-
सुक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों से इतर अन्य जमाकर्ताओं को देय बकाया राशियां	8,705,780,285	5,299,975,937
ग्राहकों से लिया गया अग्रिम	1,870,368,714	1,156,318,805
भुगतान योग्य देय सुरक्षा निधि, जमानत राशि और रोककर रखी जाने वाली राशि	1,042,981,049	916,924,520
उपभोक्ताओं को बिल के रूप में दी जाने वाली राशि	24,842,051,911	19,470,226,710
	36,467,013,076	**26,843,445,972**
अनूसूची - 11		
प्रावधान		
छुट्टी नकदीकरण	120,603,839	117,221,678
उपदान	40,459,885	8,134,345
सेवा कर	-	723,224
प्रस्तावित लाभांश	35,422,688	35,422,688
निगमित लाभांश कर	6,020,085	6,020,085
अनुषंगी लाभ कर	11,013,987	10,553,063
आय कर	69,804,908	41,136,163
चिकित्सा व्यय (भूतपूर्व कर्मचारी)	53,501,470	43,989,787
दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	4,695,125	4,231,918
छुट्टी यात्रा रियायत	4,650,463	4,260,121
	346,172,450	**271,693,072**

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रू. में)

	2009	2008
अनूसूची - 12		
अन्य आय		
विविध आय	49,440,522	27,741,348
अचल परिसंपत्तियों की ब्रिकी से होने वाला लाभ	59,357	700,619
परामर्श शुल्क	9,978,306	350,000
अधिक प्रावधान पुनरांकित	2,971,879	5,263,347
किराया	10,201,646	7,814,028
	72,651,710	**41,869,342**
अनूसूची - 13		
ब्याज से होने वाली आय		
बैंक से (4,66,329 रू. की टीडीएस) की राशि शामिल है (गत वर्ष 41,385 रू.)	125,112,062	77,606,211
कर्मचारियों से	1,207,085	924,485
अन्य - उप संविदाकार/ग्राहक जिसमें आयकर वापसी पर ब्याज 30,62,964 रू. की राशि शामिल है (गत वर्ष 29,57,828 रू.)	50,476,870	85,616,384
	176,796,017	**164,147,080**

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रू. में)

	2009	2008
अनूसूची - 14		
प्रत्यक्ष व्यय		
आयात किए गए उपस्करों सहित सिविल, मेकेनिकल और इलैक्ट्रिकल कार्य	8,864,607,088	7,797,672,701
डिजाइन और परामर्श सेवा	20,139,148	17,398,533
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	57,932,968	124,399,976
प्लांट और मशीनरी का सुधार कार्य और रख-रखाव	341,294	408,405
वेतन और भत्ते - परियोजना स्टाफ	87,473,364	83,654,458
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान - परियोजना कर्मचारी	7,311,449	5,933,775
परिसमापन क्षतियां	100,000	305,619
रॉयलटी	1,270,186	5,269,461
बट्टे खाते में डाली गई राशियां - परियोजनाएं	287,297	709,089
	9,039,462,794	**8,035,752,017**
अनूसूची - 15		
प्रशासनिक व्यय		
(क) कर्मचारियों का वेतन भत्ते और अन्य लाभ		
वेतन और भत्ते	168,161,088	146,372,557
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	14,038,049	13,133,213
बोनस	91,000	208,401
चिकित्सा	30,205,221	21,257,394
कल्याण	22,017,280	22,742,960
उपदान	40,459,885	8,134,345
प्रशिक्षण	827,406	719,400
छुट्टी नकदीकरण	18,385,902	24,396,049
कर्मचारियों को ब्याज में दी जाने वाली छूट (सब्सिडी)	228,250	72,197
	294,414,081	**237,036,516**

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रू. में)

	2009	2008
(ख) प्रशासन		
यात्रा व परिवहन (इसमें कार्यस्थल पर निवास में आने वाली परेशानियों से संबंधित व्यय 9,255,642 रू. (गत वर्ष 8,989,633) शामिल है तथा निदेशकों की यात्रा संबंधी व्यय 1,615,005 रू. (गत वर्ष 2,336,070 रू.) भी शामिल हैं।	44,819,030	61,613,422
किराया	3,277,780	3,466,802
मुद्रण और लेखन सामग्री	4,472,240	4,797,914
डाक, टैलीफोन व टैलीग्राम	9,468,648	10,803,575
बैंक प्रभार और गारंटी कमीशन	10,420,870	15,472,532
विज्ञापन और प्रचार-प्रसार	4,844,174	2,561,040
बिक्री संवर्धन	653,722	1,316,741
मनोरंजन (निदेशकों, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित 1,84,866 रू.) (गत वर्ष 2,99,945 रू. शामिल हैं)	1,725,152	2,423,439
मरम्मत और रख-रखाव		
भवन	741,085	1,446,912
कार्यालय	21,251,310	22,378,422
वाहन	1,321,181	1,541,186
अन्य अचल परिसंपत्तियां	255,597	487,344
दर और कर	2,379,728	1,737,192
पेट्रोल, ऑयल और ल्यूब्रीकेन्ट्स	1,499,996	2,342,917
बीमा	459,533	385,218
जल, ऊर्जा और विद्युत प्रभार	7,700,899	7,630,150
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	13,747,040	12,764,987
लेखापरीक्षकों को किया गया भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क	375,000	375,000
कर संबंधी लेखापरीक्षक शुल्क	112,500	112,500
सेवा कर	50,214	60,840
यात्रा एवं अन्य प्रभार	400,000	550,000

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रू. में)

	2009	2008
अतिथि गृह संबंधी व्यय (निबल)	167,322	127,498
निविदा प्रक्रिया में होने वाला व्यय	3,347,170	3,296,388
उपहार और दान	-	195,979
प्रायोजन शुल्क एवं सेवा प्रभार	-	100,000
विविध व्यय	5,245,924	5,768,981
	138,736,115	**163,756,979**
(ग) अन्य व्यय		
बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां	7,037	10,727
बट्टे खाते में डाली गई राशियां	-	21,454
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाली हानि	6,864	269,150
भविष्य निधि न्यास हानि	-	4,049,829
	13,901	**4,351,160**
	433,164,097	**405,144,655**
अनुसूची - 16		
वित्तीय लागत		
अल्पावधि ऋण पर - बैंक	2,715,288	1,009,406
अन्य - उप संविदाकार/ग्राहक	18,754,997	25,380,597
	21,470,285	**26,390,003**
अनुसूची - 17		
पूर्वावधि समायोजन		
I. व्यय		
अ. परियोजना व्यय		
सिविल, यांत्रिक और विद्युतीय कार्य	25,142,854	19,227,904
प्लांट और उपस्कर	94,626	743,595
डिजाइन और परामर्श	101,124	-
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	8,453	6,727,448
वेतन एवं भत्ते - परियोजना स्टाफ	10,060	-

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रू. में)

	2009	2008
बिक्री कर संबंधी व्यय	693,757	6,759,099
रॉयलटी	-	4,419,311
	26,050,874	**37,877,357**
ख प्रशासनिक व्यय		
वेतन एवं भत्ते	80,550,738	223,047
चिकित्सा	217,598	351,697
स्टाफ कल्याण	328,142	112,175
यात्रा और वाहन व्यय	724,711	695,529
किराया	534,380	-
मुद्रण और लेखन-सामग्री	39,696	47,318
डाक, टैलीफोन और टैलीग्राम	70,221	91,612
बैंक प्रभार और गारंटी कमीशन	280,900	15,394
मरम्मत और रख-रखाव		
भवन	230,391	25,089
कार्यालय	14,120	-
वाहन	43,371	-
कंप्यूटर व्यय	15,253	348,621
जल, ऊर्जा और विद्युत प्रभार	10,515	33,423
पेट्रोल, ऑयल और ल्यूब्रीक्रेन्ट्स	6,436	-
विधिक और व्यवसायिक प्रभार	473,819	110,650
मूल्यह्रास	255,284	102,754
मनोरंजन	6,809	3,724
उपरिव्यय (आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेन्स)	-	6,025
निविदा प्रक्रिया में होने वाला व्यय	458	-
विज्ञापन और प्रचार प्रसार	41,113	22,000
अनुषंगी लाभ कर	289,185	-
विविध	8,077	80,062
	84,141,217	**2,269,120**

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रू. में)

	2009	2008
ग. ब्याज - अन्य	**463**	**4,877,688**
	110,192,554	**45,024,165**
II. आय		
बैंक गारंटी प्रभारों की वसूलियां	713,719	-
बैंक गारंटी का नकदीकारण	825,000	-
पुनारांकित व्यय	-	4,063,554
पूर्ण की गई परियोजनाओं से वसूलियां	5,211,237	-
डब्ल्यूसीटी रिफण्ड	4,819,982	-
टीडीएस रिफण्ड	51,527	-
रॉयलटी	890,320	-
विविध	294,340	17,275,302
	12,806,125	**21,338,856**
निवल व्यय (I - II)	**(97,386,429)**	**(23,685,309)**
अनूसूची - 18		
प्रति शेयर होने वाली आय		
कर पश्चात लाभ	224,355,045	175,318,891
इक्विटी शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभ	**224,355,045**	**175,318,891**
बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का भारित अनुपात	9,094,400	9,094,400
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रू. में)	38.95	38.95
प्रति शेयर आय - आधारभूत और विलयित (रू. में)	24.67	19.28

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची-19

अ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखाकरण का आधार

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार उपार्जन (उन्हें छोड़कर, जहां अन्यथा उल्लेख किया गया है) के आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का उपयोग

सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुतीकरण के लिए अनुमानों और परिकल्पनाओं को इस प्रकार बनाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की रिपोर्ट की गई राशि का स्पट तौर पर उल्लेख करें। वास्तविक परिणाम अनुमानित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमान में किसी संशोधन को वर्तमान और भावी अवधि में मान्यता दी जाती है।

3. राजस्व मान्यता

क) किया गया कार्य

i) वर्ा के लिए किए गए कार्य की गणना प्रारंभिक जारी कार्य में से प्रत्येक संविदा के लिए संचित जारी कार्य को घटाकर की जाती है।

ii) जारी कार्य का मूल्यांकन

जारी कार्य का मूल्यांकन विविध आय पर विचार किए बिना वर्ा के अंत तक आने वाली संचित वास्तविक लागतों को लेते हुए"पूर्ण करने की पद्धति के प्रतिशत" के आधार पर आवंटित प्रत्येक वर्ा के अंत में संशोधित संविधा लागत पर आधारित आनुपातिक अनुमानित लाभ को जोड़कर किया जाता है।

iii) वर्ा के अंत में निपादित कार्य, परन्तु जिनका मापन नहीं किया गया/आंशिक रूप से निपादित कार्य की गणना इंजीनियरों के अभिप्रमाणन के आधार पर की जाती है।

iv) निर्धारित समय से पहले समाप्त/निलंबित की जाने वाली परियोजनाओं के मामले में राजस्व का अभिज्ञान केवल संविदा के उस मूल्य तक की सीमा के भीतर किया जाता है जिसकी वसूली किए जाने की संभावना होती है।

v) परामर्श सेवाओं के राजस्व का अभिज्ञान आनुपातिक पूर्णता पद्धति के आधार पर किया जाता है। ऐसे मामलों, जहां दावे के समय उचित निश्चितता के साथ अधिकतम वसूली कम होती है, में इसके अभिज्ञान को वसूली पूर्ण किए जाने तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है।

vi) ऐसी संविदाएं, जहां घाटा होने का पूर्वानुमान हो, के मामले में संपूर्ण हानि का समायोजन किया जाता है।

ख) संविदा में ग्राहक के साथ तेजी और अतिरिक्त कार्य का प्रावधान नहीं होता है और बीमा दावों की गणना नकदी आधार पर की जाती है।

ग) विवादग्रस्त/मोलभाव जारी होने की स्थिति और भुगतान की दृटि से अयोग्य/प्राप्त न की जाने वाली संविदाओं के संदर्भ में संविदागत बाध्यताओं से उत्पन्न होने वाली परिसमापन क्षति की गणना अंतिम निपटान तक नहीं की जाती है।

4. वस्तुसूची मूल्यांकन

क) स्टील, सीमेंट और पाइपों को छोड़कर निर्माण सामग्री,खपत योग्य मदें और भण्डार तथा कल पुर्जों का प्रभार खरीद के समय संविदा लागत में प्रभारित किया जाता है। ऐसी बकाया सामग्री के निपटान पर बिक्री आवतियों की गणना बिक्री वर्ा में होने वाली विविध आय में की जाती है।

ख) स्टील, सीमेंट और पाइपों के भंडार का मूल्यांकन भारित औसत लागत के साथ किया जाता है।

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

5. अंतिम बिलिंग, स्थापना प्रमाण-पत्र, वाणिज्यिक तौर पर चालू, समय से पहले बन्द होने और/अथवा निलंबन जो भी पहले हो की स्थिति में लेखाकरण उद्देश्यों के लिए संविदा को बन्द माना जाता है।

प्रत्येक संविदा की समाप्ति तक"ग्राहक को बिलों के तहत भुगतान की गई राशि " का संचित मूल्य "वर्तमान देयदारियों" के अन्तर्गत दर्शाया जाता है और किए गए कार्य की संचित मात्रा को वर्तमान परिसंपत्तियों के अन्तर्गत"कार्य जारी है" के रूप में दर्शाया जाता है।

किसी संविदा के बंद होने/समय से पूर्व बन्द होने/निलंबन पर"ग्राहक को दिए गए बिलों की राशि" का निर्धारण"कार्य प्रगति पर है" खाते में किया जाता है।

6. विदेशी मुद्रा में कारोबार

विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेन और गैर धन संबंधी परिसंपत्तियों की गणना लेनदेन की तारीख को मौजूदा विनिमय दर के आधार पर की जाती है। विदेशी मुद्रा में दर्शाए गए धन संबंधी सभी मदों को वर्ा के अंत में मौजूदा विनिमय दर के आधार पर परिवर्तित किया जाता है।

ऐसे परिवर्तन और लेनदेनों के निपटान पर आने वाले विभिन्न विनिमय अन्तरों को लाभ और हानि लेखों में दर्शाया जाता है।

7. अचल परिसंपत्तियां और मूल्यह्रासः

क) अचल परिसंपत्तियों को लागत रहित संचित मूल्यह्रास के रूप में दर्शाया गया है। अधिग्रहण की लागत में मालभाड़ा, शुल्क, कर और अन्य अनुांगी व्यय शामिल होते हैं।

ख) अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना यथानुपात आधार पर सीधी - रेखा पद्धति के अनुसार की जाती है और 95% लागत को परिसंपत्तियों की संभावित उपयोगिता अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। परियोजना साइटों पर निर्माण संबंधी उपस्कर और वाहनों का मूल्यह्रास तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर 5 वर्ा की अवधि के पश्चात किया जाता है। अन्य अचल परिसंपत्तियां का मूल्यह्रास प्रबंधन द्वारा अनुमानित दरों (जैसा कि नीचे ड़ में उल्लेख किया गया है) के आधार पर किया जाता है जो कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित संगत दरों से अधिक अथवा समतुल्य होती है।

ग) पट्टे पर लिए गए भवनों का परिशोधन पट्टा अवधि के पश्चात अथवा कंपनी द्वारा अपनाई गई दरों के अनुसार परिकलित विनिर्दिट अवधि जो भी कम हो, के पश्चात किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (चिरस्थाई) का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।

घ) परिसंपत्तियों के अन्तरण पर मूल्यह्रास की गणना अन्तरण किए जाने वाले यूनिट/क्षेत्र द्वारा की जाती है।

ड.) मूल्यह्रास पर निम्नलिखित दरों को सीधी - रेखा पद्धति के आधार पर अपनाया गया है और कई वर्ों से इनका अनुपालन नियमित रूप से किया जा रहा है :

भवन	1.68%
अस्थाई निर्माण कार्य	100.00%
निर्माण कार्य संबंधी उपस्कर	19.00%
फर्नीचर और फिक्सचर	6.33%
कार्यालय उपस्कर	11.88%
साफ्टवेयर सहित डेटा प्रोसेसिंग मशीन और कंप्यूटर	47.50%
मोबाइल फोन	100.00%
वाहन	19.00%

मूल्यह्रास की दरें परिसंपत्तियों की संभावित उपयोगिता अवधि को दर्शाती हैं।

8. कर्मचारियों को होने वाले लाभ

कर्मचारी लाभों के संबंध में व्यय एवं देनदारियों को लेखाकरण मानक 15 - कर्मचारी लाभ (संशोधित 2005) "संशोधित लेखाकरण मानक 15" के अनुसार रिकार्ड किया जाता है।

क) भविय निधि

कंपनी के अंशदान को पात्र कर्मचारियों के वेतन के एक निर्धारित प्रतिशत के आधार पर, उद्देश्य से स्थापित किए

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

गए अलग न्यास में जमा किया जाता है और उसे लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। सरकार द्वारा विनिर्धारित रिटर्न की न्यूनतम दर के आधार पर निधि संबंधी परिसंपत्तियो में आने वाली कमी, यदि कोई है, को कंपनी द्वारा दूर किया जाएगा और उसे लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) के लेखाकरण मानक बोर्ड द्वारा जारी किए किए गए संशोधित लेखाकरण मानक-15 के कार्यान्वयन के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी द्वारा स्थापित की गई भवि-य निधि को एक सुपरिभाति लाभ योजना के रूप में माना जाता है क्योंकि ब्याज में आने वाली कमी, यदि कोई है, को कंपनी द्वारा पूरा किया जाता है।

ख) ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी रोजगार पश्चात दिया जाने वाला एक लाभ है और यह सुपरिभाति लाभ योजना के रूप में होता है। ग्रेच्युटी के संदर्भ में तुलन पत्र में दर्शाई गई देनदारी तुलन पत्र की तारीख को सुपरिभाति लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य के समतुल्य होती है जिसमें से योजनागत परिसंत्तियों के उचित मूल्य को घटाया जाता है, इसके साथ-साथ इसमें अस्वीकृत बीमा संबंधी लाभों अथवा हानियों और पिछली सेवा लागतों के लिए समायोजन शामिल होते हैं। सुपरिभाति लाभ बाध्यता का अनुमान वार्कि आधार पर संभावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र बीमांकित (ऐक्चुॲरी) द्वारा किया जाता है।

पिछले अनुभव के आधार पर होने वाले धन संबंधी लाभ और हानियां तथा धन संबंधी अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों को क्रेडिट किया जाता है अथवा उस वर्ा के लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है जिससे ऐसे लाभ अथवा हानियां संबंधित होती हैं।

ग) प्रतिपूरक अनुपस्थिति

देय होने वाली अथवा तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ा की अवधि के भीतर प्राप्त की जा सकने वाली प्रतिपूरक अनुपस्थितियों के संदर्भ में देनदारी को भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक अनुमानित राशि के बिना बट्टे वाले मूल्य अथवा कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित लाभों के अनुमानित मूल्य के आधार पर अभिज्ञापित किया जाता है। देय होने वाली अथवा तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ा से अधिक अवधि के बाद प्राप्त की जा सकने वाली प्रतिपूरक अनुपस्थितियों के संदर्भ में देनदारी का अनुमान संभावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए किसी स्वतंत्र बीमांकित द्वारा किए गए धन संबंधी मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

घ) अन्य अल्पकालिक लाभ

निपादन संबंधी पुरस्कारों सहित अन्य अल्पकालिक लाभों के संदर्भ में होने वाले व्यय का अभिज्ञान उस अवधि के दौरान भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य राशि के आधार पर किया जाता है जिस अवधि में कर्मचारी द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

9. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

किसी भी प्रावधान को मान्यता तब प्रदान की जाती है जब कंपनी की किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता मौजूद होती है और यह संभावना बरकरार होती है कि इस बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनो का बहिर्गमन आवश्यक होगा और जिसके संदर्भ में कोई विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकता है। प्रावधानों पर डिस्काउंट उनके वर्तमान मूल्य के अनुरूप नहीं दिया जाता है और तुलन पत्र की तारीख को बाध्यकर के समाधान के लिए आवश्यक सर्वश्रेठ अनुमानों के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और इनका समायोजन वर्तमान सर्वश्रेठ अनुमान दर्शाने के लिए किया जाता है। किसी पूरक देनदारी को तब तक नहीं दर्शाया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बहिर्गमन की दूर-दूर तक कोई संभावना न हो। आकस्मिक परिसंपत्तियों का वित्तीय विवरणों में न तो अभिज्ञान किया जाता है और न ही उन्हें उजागर किया जाता है।

10. परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को कंपनी मूल्यांकन करती है कि

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

क्या कोई ऐसा संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को क्षति पहुंचाई जाय। यदि इस प्रकार का कोई संकेत होता है तो कंपनी उस परिसंपत्ति की वसूल किए जाने योग्य लागत का अनुमान लगाती है। यदि परिसंपत्ति की वसूल किए जाने योग्य ऐसी राशि अथवा नकदी पैदा करने वाली यूनिट, जिससे वह परिसंपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि उसको संचालित करने में व्यय होने वाली राशि से कम हो तो उसको चलाने वाली राशि को इससे वसूल की जाने वाली राशि के समतुल्य किया जाता है। इस प्रकार घटाई जाने वाली राशि को इम्पेयरमेंट हानि के रूप में माना जाता है तथा उसका उल्लेख लाभ और हानि लेखे में किया जाता है। यदि तुलन पत्र की तारीख को इस बात के संकेत दिए जाते हैं कि गत वर्ा मूल्यांकित की गई क्षति ज्यादा दिन तक मौजूद नहीं रहेगी तो वसूल किए जाने योग्य राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तथा परिसंपत्ति को वसूल किए जाने योग्य राशि के मद में दर्शाया जाता है बशर्ते कि वह मूल्यह्रास युक्त ऐतिहासिक लागत के अधिकतम के बराबर हो और तदनुसार इसे लाभ और हानि लेखे में आरक्षित कर दिया जाता है।

ब. वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

1. निम्नलिखित के संदर्भ में मौजूद आकस्मिक देनदारी :

क) 57,422,810 रू. की राशि (गत वर्ा 45,727,649 रू.) वाले विवाद/अपील के अन्तर्गत पूरे किए गए मूल्यांकनों के संदर्भ में बिक्री कर/निर्माण कार्य संविदाकर मांग, जिसके विरूद्ध 7,826,291 रू. की राशि (गत वर्ा 7,826,291 रू.) संगत प्राधिकारियों के यहां जमा की गई है।

ख) कंपनी की ओर से विभिन्न ग्राहकों के पक्ष में बैंको द्वारा जारी की गई गारंटियां - 3,193,666,567 रू. (गत वर्ा 2,215,641,935 रू.)

ग) ग्राहकों को जारी किए गए इन्डेम्निटी बॉण्ड - 110,728,852 रू. (गत वर्ा 113,882,521 रू.)

घ) ग्राहकों को जारी की गई निगमित गारंटियां - 10,000,000 रू. (गत वर्ा शून्य रू.)

ड.) ऋण के रूप में स्वीकार्य न किए गए कंपनी के विरूद्ध दावे - 7,345,220,722 रू. (गत वर्ा 7,986,456,499 रू.)

2. कंपनी ने इस्कोप बिल्डिंग में अपने कुछ परिसरों को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है), को किराए पर दिया था। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने इस परिसर को फरवरी 2002 में खाली किया और 4,605,400 रू. की राशि के कुछ फर्नीचर और फिक्चर वहां छोड़ दिए। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि छोड़े गए फर्नीचर और फिक्चर की लागत का भुगतान आपसी आधार पर सहमत कीमत के अनुसार किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने किराए के रूप में देय 4,913,684 रू. की राशि अपने पास रोक रखी थी जिसके विरूद्ध कंपनी द्वारा प्रावधान किया गया है। मुद्दे के लंबित समाधान, पूंजीकरण और परिणामी मूल्यह्रास को लेखों में प्रभारित नहीं किया गया है।

3. (क) विभिन्न ग्राहकों, एसोसिएटों और आपूर्तिकर्ताओं की डेबिट और क्रेडिट बकाया राशियों पुटि और मिलान के अध्यधीन हैं।

(ख) ग्राहकों द्वारा जारी और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्त की गई मुफ्त सामग्री पुनर्मिलान और इसके परिणामस्वरूप किए जाने वाले समायोजन, यदि कोई है, के अध्यधीन हैं।

4. विदेशी संविदाओं में से एक संविदा (लैगून परियोजना दुबई) के संबंध में 31 मार्च 2009 को तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में कुल परिसंपत्तियां शून्य, कुल देनदारी शून्य दर्शाई गई है, कुल राजस्व 112,866,319 रू. और कुल व्यय 113,877,247 रू. जिसमें 1,010,928 रू. के विनिमय संबंधी परिवर्तन शामिल हैं, को प्रबंधन द्वारा प्रमाणित रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा विविध आय के रूप में 2,813,251 रू. की राशि का राजस्व के रूप में अभिज्ञान किया गया है। वित्तीय विवरण लेखाकरण मानकों और भारतीय कंपनी विधि के अनुसार तैयार किए गए हैं। विदेशी मुद्रा के परिवर्तन के परिणामस्वरूप 1,010,928 रू. की राशि वाली विनिमय विचलन संबंधी हानि को लेखाकरण मानक - 11 के अनुसार रिकार्ड किया गया है।

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

5. विदेशी मुद्रा के ब्यौर

क. विदेशी मुद्रा में व्यय

	2009 (रू.)	2008 (रू.)
घटकों और कल पुर्जों के आयात का सीआईएफ मूल्य	-	42,646,440
डिजाइन और परामर्श	-	3,252,000
विदेश यात्रा	432,151	1,188,803

ख. विदेशी मुद्रा में आय

	2009 (रू.)	2008 (रू.)
डिजाइन और परामर्श	5,084,077	-
अन्य	4,334,321	-

6. कुछ संविदाओं को निलंबित निर्धारित समय से पहले बंद कर दिया गया है। कंपनी ने संविदाओं के इस प्रकार निलंबन संबंधी वादों को न्यायालयों/माध्यस्थम की स्थाई मशीनरी (विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार) के समक्ष उठाया है। जोखिम के अभिचार और खरीद उपबंध के परिणामस्वरूप देनदारी, यदि कोई है, जहां इसका अभिचार ग्राहकों द्वारा किया गया है, उपलब्ध नहीं कराई गई हैं क्योंकि ग्राहकों द्वारा न तो इन्हें सुनिश्चित किया गया है और न ही इनके बारे में कोई सूचना दी गई है। यह निलंबन ऐसी असामान्य स्थितियों के कारण किया गया है जिनके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। प्रबंधन को उम्मीद है कि उपर्युक्त संविदाओं के विरूद्ध आवश्यक राहत अवश्य प्राप्त होगी।

7. 5,000 रू. लागत वाली निर्धारित परिसंपत्तियों और क्रमशः 01.04.1993 तथा 01.04.2006 के पहले खरीदे गए मोबाइल फोनों के संदर्भों में मूल्यह्रास दरें पिछले वर्ा के दौरान परिवर्तित हो गई हैं। अगर मूल्यह्रास की गणना गत वर्ा के अनुसार ही की गई होती तो मूल्यह्रास के लिए प्रभार को 255,284 रू. तक कम कर दिया गया होता और वर्ा के लिए लाभ तथा निवल अचल परिसंपत्तियां संगत राशि के बराबर बढ़ा दी गई होती।

8. (क) स्कोप कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली स्थित भवन के संदर्भ में वाहन विलेख (37,441,925 रू.) कंपनी के नाम पर क्रियान्वित करने के लिए लंबित है। वाहन विलेख के क्रियान्वयन के संबंध में देनदारी, यदि कोई है, को इसके पंजीकरण वर्ा में उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) कंपनी ने 133,189,715 रू. (गत वर्ा 146,612,267 रू.) की राशि वाले एफडीआर के विरूद्ध बैंक से गैर निधि आधारित क्रेडिट लिमिट की सुविधा का उपभोग किया है तथा स्कोप कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली स्थित कार्यालय भवन के इक्विटी योग्य बंधक बनाने से 37,441,925 रू. (गत वर्ा 37,441,925 रू.) का लाभ उठाया है।

(ग) कंपनी ने ग्राहकों और अन्य लोगों/ संस्थानों के साथ जमानत राशि/ सुरक्षा निधि के रूप में 27,936,000 रू. (गत वर्ा 7,831,001 रू.) की राशि के एफडी और धरोहर के रूप में रखे हैं।

9. वर्ा के दौरान कंपनी मुख्य रूप से भारत और दुबई के दो भौगोलीय क्षेत्रों में निर्माण संबंधी कार्यकलाप कर रही थी। प्राथमिक भौगोलिक क्षेत्र अर्थात दुबई से इतर श्रेणियों से होने वाला राजस्व कुल राजस्व की तुलना में 10% से कम है। अतः लेखाकरण मानक- 17 "सेगमेंट रिपोर्टिंग" के

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

संदर्भ में अपेक्षित उद्घाटन कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

10. कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत बट्टे खाते में डालने के लिए उपलब्ध हानियों को कैरीफार्वड किया है परन्तु भविय में कर योग्य पर्याप्त आय होने के संबंध में मौजूदा अनिश्चितता के मद्देनजर वर्ा के अन्त में निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और एमएटी की पात्रता के लिए क्रेडिट को लेखों में विविधपूर्ण ढंग से मान्यता प्रदान की गई है।

11. **लेखाकरण मानक- 7 निर्माण कार्य संबंधी संविदाएं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रकटीकरण**

क. सं.	विवरण	राशि	
		2009 (रू.)	2008 (रू.)
1	अवधि के दौरान राजस्व के रूप में संविदा राजस्व	9,577,074,452	8,510,200,942
2	रिपोर्ट किए जाने वाली तारीख तक अभिज्ञान किए गए लाभ और लगाई गई संविदा लागत	24,883,553,329	19,487,905,572
3	प्राप्त किए गए अग्रिम	1,870,368,714	1,156,318,805
4	संविदा कार्य के लिए उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाली सकल राशि - किसी परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत की गई	151,038,737	99,225,410
5	संविदा कार्य के लिए उपभोक्ताओं को देय सकल राशि - किसी देनदारी के रूप में प्रस्तुत की गई	109,537,319	81,546,548

12. कर्मचारी लाभ

कंपनी ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न लाभों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया है :

क) भवियनिधि में जमा किया अंशदान - 20,849,498 रू. (गत वर्ा 18,566,988 रू.)

निधि में वर्तमान में किसी भी प्रकार का घाटा अथवा ब्याज में कोई कमी मौजूद नहीं है। ब्याज में आने वाली कमी, भारत की बीमांकिक सोसाइटी से मार्गदर्शन टिप्पणी जारी किए जाने संबंधी लंबित मामले के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी भावी बाध्यता के संदर्भ में भविय निधि के मद में धन संबंधी मूल्यांकन देनदारी का मापन व्यवहार्य नहीं है। तद्नुसार भविय के संदर्भ में अन्य संबंधित प्रकटीकरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ख) ग्रेच्युटी के संबंध में देनदारी के लिए प्रावधान, नीचे दिए गए अनुमानों का प्रयोग करते हुए, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारी ग्रेच्युटी में न्यास के संदर्भ में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार किया गया है:

		2009	2008
(क)	वेतन वृद्धि की दर (प्रति वर्ा)	5.00%	5.00%
(ख)	डिस्काउन्टिंग की दर (प्रति वर्ा)	8.00%	8.00%
(ग)	सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु	60 Years	60 Years
(घ)	भारतीय जीवन बीमा निगम की मृत्यु दर तालिका (1994-96) मृत्यु तालिका में प्रकाशित दरों के अनुसार मृत्यु दर		

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

(ड.)	कर्मचारियों की संख्या	471	498
(च)	कुल मासिक वेतन (रू.)	15,439,507	11,600,988
(छ)	31.03.2009 को ग्रेच्युटी निधि का मूल्य (रू. में)	156,972,928	125,716,444
(ज)	वर्ा 2008-09 के लिए ग्रेच्युटी में किया गया अंशदान	40,459,885	8,134,345

कंपनी ने लेखाकरण मानक 15 के अनुसार ग्रेच्युटी से संबंधित कर्मचारी लाभ के संदर्भ में अपेक्षित सूचना नहीं दी है क्योंकि यह भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त हुए बीमांकित प्रमाण पत्र में उपलब्ध नहीं है।

3) कंपनी दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियों, सेवानिवृत्ति के पश्चात दिए जाने वाले चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत और दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार के संबंध में भी बीमांकिक आधार पर जानकारी उपलब्ध कराती है।

(अ) परिभाति लाभ बाध्यता में परिवर्तन (2008-09)

(राशि रू. में)

	दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)
1 अप्रैल 2008 को परिभाति लाभ संबंधी बाध्यता	117,221,678	4,231,918	43,989,787	4,260,121
वर्तमान सेवा लागत	6,561,872	238,174	1,408,768	2,456,678
ब्याज लागत	9,377,734	338,553	3,519,183	340,810
समाधान लागत/ भुगतान किए गए (क्रेडिट) लाभ	(15,003,741)	(390,090)	(2,660,829)	(1,865,889)
बाध्यताओं पर जीवनांकिक(उपलब्धि)/हानि	2,446,296	276,570	7,244,561	(54,1257)
31 मार्च, 2009 को परिभाति लाभ बाध्यता	120,603,839	4,695,125	53,501,470	4,650,463

(अ) परिभाति लाभ बाध्यता में परिवर्तन (2007-08)

(राशि रू. में)

	दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)
1 अप्रैल 2007 को परिभाति लाभ संबंधी बाध्यता	108,071,056	3,912,896	40,109,128	3,901,259
वर्तमान सेवा लागत	8,987,241	219,735	1,378,333	229,532

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

ब्याज लागत	8,645,684	313,032	3,208,730	312,101
समाधान लागत/ भुगतान किए गए (क्रेडिट) लाभ	(15,245,427)	(395,722)	(1,013,050)	(2,479,069)
बाध्यताओं पर जीवनांकिन(उपलब्धि)/ हानि	6,763,124	181,977	306,646	2,296,298
31 मार्च, 2008 को परिभाति लाभ बाध्यता	117,221,678	4,231,918	43,989,787	4,260,121

(ब) योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (निधि युक्त स्कीम) 2008-09

(राशि रू. में)

1 अप्रैल 2008 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों का संभावित वास्तविक लाभ	-	-	-	-
जीवनांकिक उपलब्धियां/(हानियां)	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	-	-	-	-
31 मार्च 2009 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-

(ब) योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (निधि युक्त स्कीम) 2007-08

(राशि रू. में)

1 अप्रैल 2007 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों का संभावित वास्तविक लाभ	-	-	-	-
जीवनांकिक उपलब्धियां/हानियां	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	-	-	-	-
31 मार्च 2008 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-

(स) तुलन पत्र (2008-09) में दर्शाई गई राशि

(राशि रू. में)

31 मार्च, 2009 को परिभाति लाभ संबंधी बाध्यता	120,603,839	4,695,125	53,501,470	4,650,463
31 मार्च, 2009 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
किसी भी परिसंपत्ति के रूप में अभिज्ञान न की गई की गई राशि (पैरा 59 (ख) में दर्शाई गई सीमा)	-	-	-	-
तुलन पत्र में दर्शाई गई देनदारी/(परिसंपत्ति)	120,603,839	4,695,125	53,501,470	4,650,463
वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों में शामिल (अनुसूची - 12)	120,603,839	4,695,125	53,501,470	4,650,463

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

(स) तुलन पत्र (2007-08) में दर्शाई गई राशि

(राशि रू. में)

31 मार्च, 2009 को परिभाति लाभ संबंधी बाध्यता	117,221,678	4,231,918	43,989,787	4,260,121
31 मार्च, 2009 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
किसी भी परिसंपत्ति के रूप में अभिज्ञान न की गई राशि (पैरा 59 (ख) में दर्शाई गई सीमा)	-	-	-	-
तुलन पत्र में दर्शाई गई देनदारी/(परिसंपत्ति)	117,221,678	4,231,918	43,989,787	4,260,121
वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों में शामिल (अनुसूची - 12)	117,221,678	4,231,918	43,989,787	4,260,121

(द) लाभ और हानि लेखा (2008-09) में दर्शाए गए व्यय

(राशि रू. में)

वर्तमान सेवा लागत	6,561,872	238,174	1,408,768	2,456,678
पिछली सेवा लागत	-			
ब्याज लागत	9,377,734	338,553	3,519,183	340,810
योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	-	-	-	-
काट-छांट/समाधान लागत/ (क्रेडिट)	-	-	-	-
अवधि के दौरान दर्शाया गया निवल जीवनांकिक (उपलब्धि)/हानि	2,446,296	276,570	7,244,561	(541,257)
लेखाकरण मानक - 15 (संशोधित 2005) के पैरा 59 (ख) में उल्लेखित सीमा का प्रभाव	-	-	-	-
एक वर्ा में नवीकरणीय आवधिक सुनिश्चित प्रीमियम (ओवाईआरटीए)	-	-	-	-
लागत और हानि लेखा में दर्शाए गए कुल व्यय	18,385,902	853,297	12,172,512	2,256,231
भविय निधि अथवा अन्य निधियों में शामिल अंशदान (अनुसूची - 15)				

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

(द) लाभ और हानि लेखा (2007-08) में दर्शाए गए व्यय

(राशि रू. में)

वर्तमान सेवा लागत	8,987,241	219,735	1,378,333	229,532
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
ब्याज लागत	8,645,684	313,032	3,208,730	312,101
योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	-	-	-	-
काट-छांट/समाधान लागत/ (क्रेडिट)	-	-	-	-
अवधि के दौरान दर्शाया गया निवल जीवनांकिक (उपलब्धियां)/हानि	6,763,124	181,977	306,646	2,296,298
लेखाकरण मानक - 15 (संशोधित 2005) के पैरा 59 (ख) में उल्लेखित सीमा का प्रभाव	-	-	-	-
एक वर्ा में नवीकरणीय आवधिक सुनिश्चित प्रीमियम (ओवाईआरटीए)	-	-	-	-
लागत और हानि लेखा में दर्शाए गए कुल व्यय भविय निधि अथवा अन्य निधियों में शामिल अंशदान (अनुसूची - 15)	24,396,049	714,744	4,893,709	2,837,931

चूंकि यह दूसरा वर्ा है जब संशोधित लेखाकरण मानक - 15 को लागू किया गया है, अतः बाध्यता के वर्तमान मूल्य की राशि, योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य अतिरिक्त राशि अथवा योजना में होने वाला घाटा और योजनागत देनदारियों के परिणामस्वरूप किए जाने वाले अनुभव संबंधी समायोजन तथा गत दो वर्ाों के लिए योजनागत परिसंपत्तियों के विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

13. संबंधित पार्टी प्रकटीकरणः

i) वर्ा के दौरान प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्मिकः

श्री एस.पी.एस बक्शी, अध्यक्ष - सह प्रबंध निदेशक (05.02.2009 से नियुक्त)

श्री ए.के. रतवानी, निदेशक (परियोजनाएं) (04.02.2009 तक अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक का अतिरक्त प्रभार रहा)

श्री जी.डी. मूरजानी, निदेशक (वित्त)

श्री सुरजीत मित्रा, निदेशक

श्री आर. असोकन, निदेशक

श्री अन्जन कुमार मित्रा, निदेशक

श्री अरुण दत्ता, निदेशक

डा. राम एस. तरनेजा, निदेशक (21.02.2009 से पदभार समाप्त किया गया)

ii) व्यापार के सामान्य क्रम में संबंधित पार्टियों के साथ निम्नलिखित लेनदेन किए गए

(राशि रू. में)

	2009 (रू.)	2008 (रू.)
वेतन	2,426,093	2,996,155
मकान किराया	99,000	519,160
चिकित्सा व्यय	99,619	13,982
भविय निधि में अंशदान	187,507	271,611
सिटिंग फीस	108,000	72,000

31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को 780रू./520रू./490रू./ 325 रू. के भुगतान पर प्रति माह 1,000 किमी. तक की गैर-ड्यूटी यात्रा के लिए कंपनी की कार का प्रयोग करने की अनुमति है। ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण भी कंपनी के नियमानुसार देय हैं।

14. वेतन आयोग की रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए गए वेतन की 8.05 करोड़ रूपए की बकाया राशि जिसका गत वर्ा प्रावधान नहीं किया गया था, को प्रावधान इस वर्ा कराया गया है और इसे पूर्वावधि मद के रूप में माना गया है।

15. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाति किए अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की श्रेणी में आने वाले निकायों की देय राशि को इन निकायों से प्राप्त होने वाली पुटि के आधार पर चह्नित किया गया है और इसकी सूचना कंपनी के पास उपलब्ध है। वर्ा के दौरान किसी भी समय इन चिह्नित किए गए निकायों को देय कोई भी राशि 45 दिनों से अधिक के लिए देय नहीं थी।

16. यहां कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग-II के पैरा 4-ग और पैरा 4-घ के अनुपालन में प्रकट किए जाने के लिए कोई भी अन्य मदें अपेक्षित नहीं हैं।

17. प्रबंधन ने मूल्यांकन किया है और पाया है कि अचल परिसंपत्तियों के मूल्य मे किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है।

18. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है वहां गत वर्ा के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध/ पुनः व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक बोर्ड के लिए और की ओर से

कुमुदनी शर्मा	एम.के.आनन्द	जी.डी. मूरजानी	एस.पी.एस. बक्शी
उप-कंपनी सचिव	ग्रुप महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20 अगस्त, 2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्त व-र्ा के लिए नकदी प्रवाह विवरण्

(Amount in Rupees)

	2009	2008
अ. प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर से पहले निवल लाभ और पूर्वावधि मदें	353,975,744	225,047,565
निम्नलिखित के लिए किए गए समायोजनः		
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	(97,386,429)	(23,685,309)
मूल्यह्रास	8,070,862	9,259,716
ब्याज से होने वाली आय	(125,112,062)	(77,606,211)
ब्याज का खर्च	2,715,288	1,009,406
बट्टे खाते में डाली गई राशियां	287,297	730,543
बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां	7,037	10,727
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाला (लाभ)/हानि (निवल)	(52,493)	(431,469)
अतिरिक्त पुनरांकित प्रावधान	(2,971,879)	(5,263,347)
कार्यगत पूंजी के परिवर्तित होने से पहले प्रचालन संबंधी लाभ	**139,533,365**	**129,071,621**
निम्नलिखित के लिए किए गए समायोजनः		
वस्तुसूचियों में कमी	11,817,551	4,412,592
व्यापार/अन्य प्राप्तिं और ऋण तथा अग्रिमों में वृद्धि	(4,488,553,268)	(2,970,849,186)
व्यापार/अन्य अदायगियों और प्रावधानों में वृद्धि	4,297,091,612	3,305,073,397
प्रचालनों में (प्रयुक्त)/से उत्पादित (अर्जित) नकदी	**(40,110,740)**	**467,708,424**
भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर	(15,832,669)	(9,443,560)
प्रचालन कार्यकलापों में (प्रयुक्त)/से उत्पादित नकदी	**(55,943,409)**	**458,264,864**
ब. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(2,987,845)	(10,709,950)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाली आय	758,014	1,330,788
प्रतिबंधित नकदी में संचलन	(6,682,447)	(13,462,631)
प्राप्त किया गया ब्याज	83,242,553	93,104,178
निवेश संबंधी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	**74,330,275**	**70,262,385**
स. वित्तपोति कार्यकलपों से नकदी प्रवाह		
भुगतान किया गया ब्याज	(2,715,288)	(1,009,406)
भुगतान किया गया लाभांश	(70,845,376)	(88,556,720)
लाभांश पर देय कर	(12,040,170)	(15,050,214)
वित्तपोति कार्यकलापों पर प्रयुक्त निवल नकदी	**(85,600,834)**	**(104,616,340)**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि	(67,213,968)	423,910,909
आरंभ में नकदी तथा नकदी समतुल्य	1,440,909,666	1,016,998,757
समाप्ति पर नकदी तथा नकदी समतुल्य	**1,373,695,698**	**1,440,909,666**

31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्त व-र्ा के लिए नकदी प्रवाह विवरण्

(Amount in Rupees)

	2009	2008
टिप्पणीः		
नकद और नकदी समतुल्य में सम्मिलित :		
हाथ में मौजूद नकद और चेक तथा मार्गस्थ प्रेाण	24,080,490	4,491,161
बैंक में जमा राशियां - चालू खाता	60,463,920	614,151,869
बैंक में जमा राशियां - जमा खाता	1,289,151,288	822,266,636
नकद और नकदी समतुल्य	**1,373,695,698**	**1,440,909,666**
सावधि जमा खाता में जमा राशि (गिरवी रखी गई)	161,125,715	154,443,268
तुलन पत्र के अनुसार नकदी और बैंक में जमा राशियां	**1,534,821,413**	**1,595,352,934**
	-	-

निदेशक बोर्ड के लिए और की ओर से

कुमुदनी शर्मा	एम.के.आनन्द	जी.डी. मूरजानी	एस.पी.एस. बक्शी
उप-कंपनी सचिव	ग्रुप महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक

यह नकदी प्रवाह विवरण हमारी इसी तारीख की संलग्य पृथक रिपोर्ट के अनुसार

(कृते मैसर्स वाकर चंदोक एण्ड कंपनी)
सनदी लेखाकार

द्वारा बी.पी. सिंह
भागीदार
सदस्यता संख्याः 70116

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20 अगस्त, 2009

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग-IV के अनुसार अनुपालन में अतिरिक्त सूचना

I. पंजीयन के विवरण

पंजीयन संख्या	यू27109डीएल1970 भारत सरकार 117585	राज्य कोड	55
तुलन पत्र	31.03.2009		

II. वर्ष के दौरान बढ़ाई गई पूंजी (राशि हजार रू.में)

पब्लिक इशू	शून्य	राइट इशू	शून्य
बोनस इशू	शून्य	निजी नियोजन	शून्य

III. निधियों को गतिशील बनाने और उनके विकास की स्थिति (राशि हजार रू. में)

	कुल देनदारियां		कुल परिसंपत्ति
	38032464		38032464
निधियों के स्रोत	शेयर पूंजी		आरक्षित एव अधिशे-ा
	354227		865052
निधि प्रयोज्यता	निवल अचल परिसंपत्तियां		निवेश
	44410		शून्य
	निवल चालू परिसंपत्ति		विविध व्यय
	1174869		शून्य

IV. कंपनी का नि-पादन (राशि हजार रू.में)

	कारोबार		कुल व्यय
	9907851		9651262
	कर से पहले लाभ		कर के बाद लाभ
	256589		224355
	प्रति शेयर आय		लाभांश
	Rs.24.67		20% *

V. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादन/सेवाओं के प्रजातिगत नाम (वित्तीय शर्तों के अनुसार)

मद कोड सं.	(आईटीसी कोड)	शून्य
उत्पाद विवरण		निर्माण और परियोजनाओं से संबंधित कार्यकलाप
मद कोड सं.	(आईटीसी कोड)	शून्य
उत्पाद विवरण		शून्य
मद कोड सं.	(आईटीसी कोड)	शून्य
उत्पाद विवरण		शून्य

*वर्ष के दौरान भुगतान किए गए 10% अंतरिम लाभांश की राशि शामिल है।

भारत के नियंत्रक और लेखापरीक्षक की, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के, 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के खातों पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन टिप्पणियां

कंपनी प्रबंधक का उत्तरदायित्व है कि वह 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड** के वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन प्रावधानित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप तैयार करें तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अधीन नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक इन वित्तीय विवरणों पर, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अधीन, अपने व्यवसायिक निकाय, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा प्रावधानित, ऑडिटिंग एवं एश्योरेंस मानकों के अनुरूप, स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अपने विचार अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी हैं। इसका उल्लेख दिनांक 20 अगस्त, 2009 की उनकी लेखा परीक्षा रिर्पोट में किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अधीन **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड** के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की। यह पूरक लेखा परीक्षा संविधिक लेखा परीक्षकों के संबद्ध कागज़ातों की अनुपलब्धता में स्वतंत्र रूप से की गई है तथा प्राथमिक तौर पर संविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी-कर्मिकों की जाँच तथा लेखा रिकॉर्डों में से कुछ की च्यनित परीक्षा तक सीमित है।

मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे ज्ञान में कोइै ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं आई, जिसमें, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन टिप्पणी अथवा सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी पूरक (टिप्पणी) की आवश्यकता हो।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

ह०/-
(वीरेन्द्र कुमार)
वाणिज्यिक लेख-परीक्षा के
प्रधान निदेशक एवं लेखा परीक्षा
बोर्ड-1, नई दिल्ली के पदेन सदस्य

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 सितंबर, 2009

प्रचालन क्षेत्र

नगर-क्षेत्र एवं प्रतिष्ठित भवन, बन्दरगाह हवाई अड्डे
सिविल, संरचनात्मक सड़कें, अवसरचनात्मक परियोजनाएं
सामग्री प्रबंधन, अनाज प्रबंधन परियोजनाएं
धातुकार्मिक परियोजनाएं
औद्योगिक परियोजनाएं एवं प्रक्रिया संयंत्र
जल-आपूर्ति एवं पर्यावरण इंजीनयरी
तेल एवं पैट्रोलियम परियोजनाएं
खनन परियोजनाएं
स्थावर संपदा

Engineering the Future

EPI - a multi disciplinary ..... Turnkey Construction Company having over 39 years of excellent track record in the following fields :

Civil & Structural :

• Townships and Housing Complexes • High Rise Buildings • Grain Silos & TV Towers • Deep Excavations and Foundations • Sports Stadia • Dams & Canals • Infrastructure Development • Industrial Structures • Hospitals & Airports

Material Handling :

• Coal Handling • Plants & Systems • Ash Handling • Fertilizer Handling • Ore Handling • Cross Country Conveyors

Metallurgical :

• Furnaces - Reheating/Walking Beam/Electric Arc & Others • Lime and Dolomite Kilns • Calcination Plants • Coke Ovens • Foundries/Sand Plants/Cupolas/Tube Mills • Slag Granulation

Water Supply & Environmental Schemes :

• Rural and Urban Water Supply • Sewage Treatment Plants • Effluent Treatment Plants • Trunk Water Pipelines

Oil & Petrochemical :

• Ore Beneficiation • Coal Washeries • Sulphuric Acid Plants • Nitric Acid Plants • Calcium Carbide Plants • Oil Extraction Plants

Project Management Services :

• For Institutional & Residential Buildings • Utility Services • Development Works for Nation's PSU & Govt. Departments

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
ENGINEERING PROJECTS (INDIA) LTD.

Core-3, Scope Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi - 110 003 Te;. : +91-11-24361666, 24363591
Fax : +91-11-24363426, E-mail : epico@epi.gov.in
Website : http://www.epi.gov.in

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
ENGINEERING PROJECTS (INDIA) LTD.

Core-3, Scope Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi - 110 003 Tel. : +91-11-24361666
Fax : +91-11-24363426 E-mail: epico@epi.gov.in, epind@nde.vsnl.net.in
Website : www.epi.gov.in